अध्याय 9

कंपनियों का खाता

सीखने के परिणाम

इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप समर्थ होंगे:

- कंपनी द्वारा रखी जाने वाली लेखा पुस्तकों आदि की तैयारी और रखरखाव के बारे में जानने में
- वित्तीय विवरण और अन्य संबंधित मामलों को तैयार करने और दाखिल करने की आवश्यकताओं को समझने में
- वित्तीय विवरणों को पुनः देखने और उसे संशोधित करने के बारे में
- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) के गठन, कार्य और शक्ति के बारे में जानने में
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या करने में
- कंपनियों के आंतरिक लेखा-परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया की व्याख्या करने में

© The Institute of Chartered Accountants of India

अध्याय अवलोकन

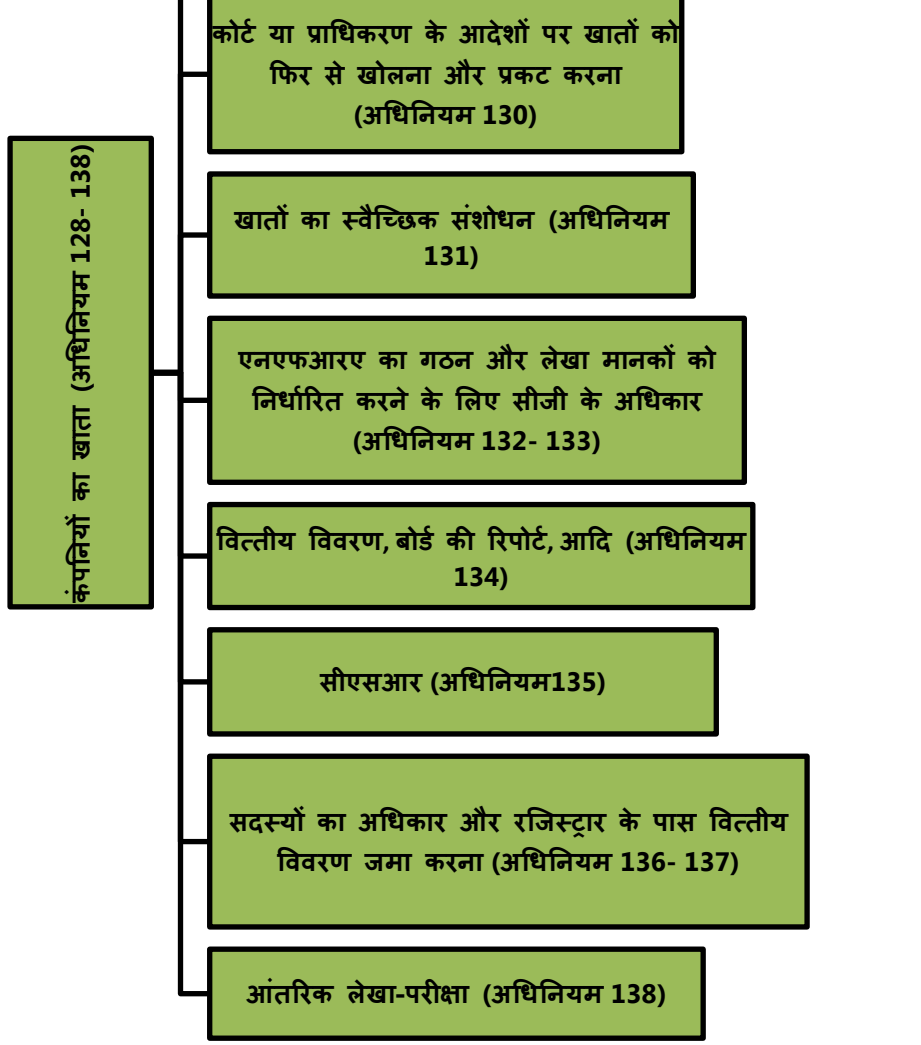

© The Institute of Chartered Accountants of India

1. परिचय

कंपनी के कामकाज और वित्तीय स्थिति के बारे में निदेशकों द्वारा शेयरधारकों को वार्षिक जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता है ताकि शेयरधारकों को कंपनी के मामलों से अवगत कराया जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनियों के खाते की उचित पुस्तकों के रखरखाव से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को निर्धारित करता है।

2. कंपनी द्वारा खातो की पुस्तकों आदि का रख रखाव [अधिनियम-128]

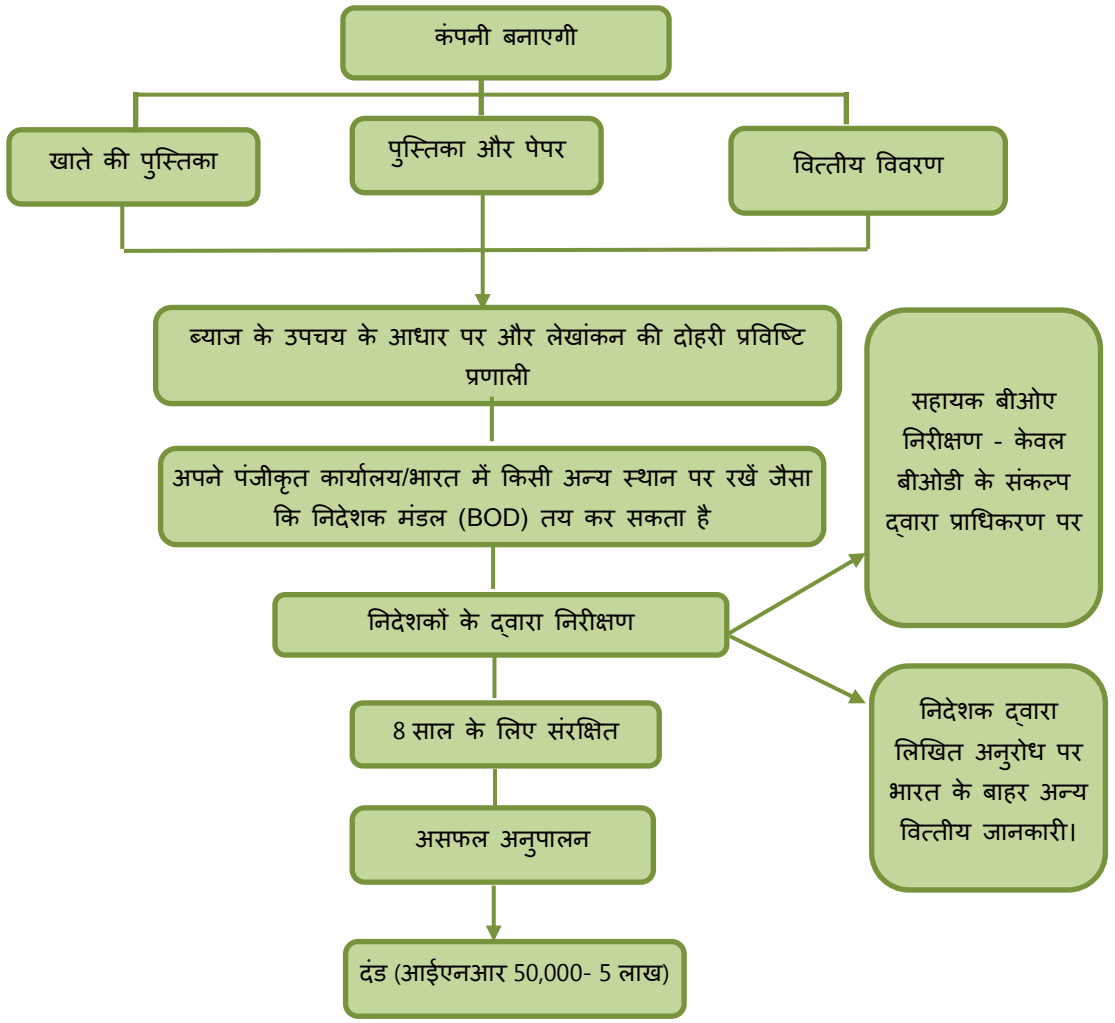

© The Institute of Chartered Accountants of India

सामान्य आवश्यकताएँ

प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए खातों की पुस्तिका एवं अन्य प्रासंगिक पुस्तिका और रिकॉर्ड और वित्तीय विवरण तैयार करेगी।

इन खातों की पुस्तकों में कंपनी के मामलों की सही स्थिति और निष्पक्ष जानकारी देनी चाहिए, जिसमें से इसके शाखा कार्यालय भी शामिल हैं और पंजीकृत कार्यालय और इसकी शाखाओं दोनों में हुए लेनदेन की व्याख्या करते हैं।

खातों की इन पुस्तकों को ब्याज के उपचय के आधार पर और लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार रखा जाना चाहिए।

ब्याज के उपचय आधार और लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली

लेखांकन का ब्याज के उपचय के आधार पर एक लेखांकन धारणा या अवधारणा है जिसका वित्तीय विवरण तैयार करने में अनुसरण किया जाता है। ब्याज के उपचय की अवधारणा लेखांकन अवधारणाओं के चार सिद्धांतों में से एक है जिसमें आय और व्यय को अर्जित करना शामिल है, यह तब से अलग जब से वे प्राप्त या भुगतान किए जाते हैं।

डबल एंट्री बुक-कीपिंग खातों के एक सेट में किसी व्यवसाय के किसी भी लेनदेन को रिकॉर्ड करने की एक विधि है जिसमें प्रत्येक लेनदेन में डेबिट और क्रेडिट का दोहरा पहलू होता है इसलिए कम से कम दो खातों में दर्ज करने की आवश्यकता होती है। दोहरा पहलू व्यवसाय के प्रभावी नियंत्रण को सक्षम बनाता है क्योंकि खातों की सभी पुस्तकों में संतुलन होना चाहिए।

धारा 2(13) में परिभाषित "खातो की पुस्तकें" में निम्नलिखित के संबंध में बनाए गए रिकॉर्ड शामिल हैं-

- एक कंपनी द्वारा प्राप्त और व्यय की गई सभी राशियां और वे मामले जिनके संबंध में प्राप्तियां और व्यय होते हैं।
- कंपनी द्वारा माल और सेवाओं की सभी बिक्री और खरीद।
- कंपनी की संपत्ति और देनदारियां तथा
- कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 148 (लागत लेखा परीक्षा) के तहत निर्धारित लागत की मदें उस कंपनी के मामले में जो उस धारा के तहत निर्दिष्ट कंपनियों के किसी भी वर्ग से संबंधित है।

धारा 2(12) में परिभाषित **"पुस्तक और पेपर" और "खाता या पेपर"** में खाते की किताबें, विलेख, वाउचर, लेखन, दस्तावेज, और पेपर या इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए गए रजिस्टर शामिल हैं;

© The Institute of Chartered Accountants of India

लेखा पुस्तकें रखने का स्थान

धारा 128(1) के लिए प्रत्येक कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय में खातों की पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक किताबें और कागजात और वित्तीय विवरण तैयार करने और रखने की आवश्यकता होती है।

हालाँकि, सभी या कोई भी खाता-पुस्तक भारत में निदेशक मंडल द्वारा तय अन्य स्थान पर रखा जा सकता है जहाँ बोर्ड द्वारा इस तरह का निर्णय लिया जाता है, कंपनी उसके सात दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास एक लिखित नोटिस फॉर्म एओसी-5 में उस अन्य स्थान का पूरा पता देते हुए फाइल करेगी।

इलेक्ट्रानिक रूप में लेखा पुस्तकों का रख-रखाव

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार एक कंपनी के पास लेखा पुस्तकें या अन्य प्रासंगिक पेपर इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखने का विकल्प होता है। नियम 3 लेखा पुस्तकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे जाने वाले तरीके को बताता है।

(1) इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे गए लेखा पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक पुस्तिकाओं और पेपर भारत में सुलभ रहेंगे ताकि बाद के संदर्भ के लिए उपयोग किया जा सके।

प्रत्येक कंपनी जो अपने लेखा पुस्तक ***को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है वह 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए केवल ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी जिसमें प्रत्येक लेनदेन के लेखा-परीक्षा ट्रेल को रिकॉर्ड करने की सुविधा हो। इस तरह के परिवर्तन किए जाने की तारीख के साथ*** लेखा पुस्तक ***में किए गए प्रत्येक परिवर्तन का एक संपादन लॉग बनाना और यह सुनिश्चित करना कि लेखा-परीक्षा ट्रेल को अक्षम नहीं किया जा सकता है।***

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित खाते की किताबें और अन्य प्रासंगिक पुस्तकों और कागजात को पूरी तरह से उस प्रारूप में बनाए रखा जाएगा जिसमें वे मूल रूप से भेजे या प्राप्त किए गए थे या जो प्रारूप में सही ढंग से जानकारी प्रस्तुत करेगा और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी पूर्ण और अपरिवर्तित रहेगी।

(3) शाखा कार्यालयों से प्राप्त जानकारी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और इसे इस तरह से दर्शाया जाएगा कि मूल रूप से शाखाओं से क्या प्राप्त हुआ था।

(4) दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जानकारी एक सुपाठ्य रूप में प्रदर्शित होने में सक्षम होगी।

(5) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति, प्रदर्शन या प्रिंटआउट के लिए एक उचित प्रणाली होगी जैसा कि लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड उचित समझे और ऐसे अभिलेखों का निपटान या अनुपयोगी नहीं किया जाएग जब तक की कानूनी अनुमति न दी जाए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

भारत के बाहर किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखी गई कंपनी की खाता बहियों और अन्य पुस्तकों और कागजातों का संग्रह आवधिक आधार पर भारत में भौतिक रूप से स्थित सर्वरों में रखा जाएगा।

(6) कंपनी सेवा प्रदाता से संबंधित प्रासंगिक जानकारी के बाद वित्तीय विवरण दाखिल करते समय वार्षिक आधार पर रजिस्ट्रार को सूचित करेगी-

(a) सेवा प्रदाता का नाम

(b) सेवा प्रदाता का इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) पता

(c) सेवा प्रदाता का स्थान (जहाँ लागू हो)

(d) जहाँ लेखा पुस्तकें और अन्य किताबें और कागजात क्लाउड पर रखे जाते हैं ऐसा पता जो सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किया जाता है

लेखा पुस्तकें - शाखा कार्यालय

जब किसी कंपनी का भारत में या उसके बाहर एक शाखा कार्यालय है तो यह माना जाएगा कि उसने उप-धारा (1) के प्रावधानों का अनुपालन किया है यदि शाखा कार्यालय में किए गए लेनदेन से संबंधित जरूरी लेखा पुस्तकें उस कार्यालय में रखी जाती हैं।

भारत के बाहर रखी और अनुरक्षित कंपनी की लेखा पुस्तकों की संक्षिप्त विवरणी तिमाही अंतराल पर पंजीकृत कार्यालय को भेजी जाएगी जिसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखा जाएगा और निरीक्षण के लिए निदेशकों के लिए उपलब्ध रहेगा।

निदेशको द्वारा निरीक्षण

धारा 128 (3) के अनुसार यदि कोई भी निदेशक व्यवसायीक घंटों के दौरान कंपनी की लेखा पुस्तकें और अन्य पुस्तकों और कागजात का निरीक्षण सभी प्रकार के स्वतंत्र निदेशक-नामित, प्रमोटर या पूर्णकालिक द्वारा किया जा सकता है।

उप-धारा 3 के प्रावधान में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति निदेशक मंडल के संकल्प के माध्यम से प्राधिकरण पर ही सहायक कंपनी के खाते की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है।

अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सहायता

धारा 128 (4) के अनुसार उप-धारा (3) के तहत एक निरीक्षण किया जाता है जिसमे कंपनी द्वारा उचित रूप से देने की उम्मीद हो सकती है कंपनी के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को निरीक्षण के संबंध में सभी प्रकार की सहायता करेंगे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अन्य वित्तीय जानकारी: जब कंपनी द्वारा देश के बाहर रखी गई कोई अन्य वित्तीय जानकारी की आवश्यकता निदेशक को होती है तो निदेशक द्वारा कंपनी को किसी भी अवधि के बीच की मांगी गई वित्तीय जानकारी का पूरा विवरण देते हुए कंपनी से एक अनुरोध प्रस्तुत करेगा।

कंपनी लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर ऐसी वित्तीय जानकारी निदेशक को प्रस्तुत करेगी।

निदेशक देश से बाहर रखी गई वित्तीय जानकारी [कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 4(4)] के संबंध में केवल व्यक्तिगत रूप से जानकारी मांग सकता है न कि अपने वकील धारक या एजेंट या प्रतिनिधि के माध्यम से।

पुस्तकों के संरक्षण की अवधि [धारा 128(5)]

ऐसी पुस्तकों में किसी भी प्रविष्टि के लिए प्रासंगिक वाउचर के साथ खातों की पुस्तकों को कंपनी द्वारा प्रासंगिक वित्तीय वर्ष से ठीक पहले आठ साल से कम की अवधि के लिए अच्छे क्रम में संरक्षित करने की आवश्यकता होती है।

वित्तीय वर्ष से पहले आठ वर्ष से कम समय में निगमित कंपनी के मामले में वाउचर के साथ वित्तीय वर्ष से पहले की पूरी अवधि के लिए लेखा पुस्तकों को संरक्षित किया जाएगा।

उप-धारा 5 के प्रावधान के अनुसार जहाँ निरीक्षण जाँच या परीक्षण से संबंधित अधिनियम के अध्याय XIV के तहत एक कंपनी के संबंध में एक जाँच का आदेश केंद्र सरकार दे सकती है और निर्देश के अनुसार लेखा पुस्तकें 8 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रखी जा सकती हैं।

जिम्मेदार व्यक्ति को जुर्माना

धारा 128 (6) के अनुसार खाताबुक्स आदि के रखरखाव के लिए व्यक्ति जिम्मेदार होगा:

(i) प्रबंध-निदेशक

(ii) पूर्णकालिक निदेशक वित्त प्रबन्धक

(iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी

(iv) कंपनी का कोई अन्य व्यक्ति जिसे बोर्ड द्वारा धारा 128 के प्रावधानों का पालन करने का कर्तव्य सौंपा गया है।

उलंघन पर दंड का प्रावधान

यदि उपर्युक्त व्यक्ति अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहते हैं तो वे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से दण्डनीय होंगे जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उदाहरण 1: XYZ Ltd. नकद आधार पर अपने खाते की पुस्तकों का रखरखाव करना चाहता है। क्या यह एक्सवाईजेड लिमिटेड का वैध कार्य है?

उत्तर: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128 (1) के तहत प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा पुस्तक, पेपर और वित्तीय विवरण या अन्य प्रासंगिक पुस्तकों को उपचयन के आधार पर और लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता होती है। अधिनियम द्वारा उपरोक्त की आवश्यकता से कंपनियों के किसी वर्ग को कोई अपवाद नहीं दिया गया है। इसलिए एक्सवाईजेड लिमिटेड के आधार पर अपने लेखा-पुस्तकों का रखरखाव नहीं कर सकता है।

3. वित्तीय विवरण [धारा 129][1]

वित्तीय विवरण–परिभाषा

वित्तीय विवरण को धारा 2 (40) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें शामिल हैं-

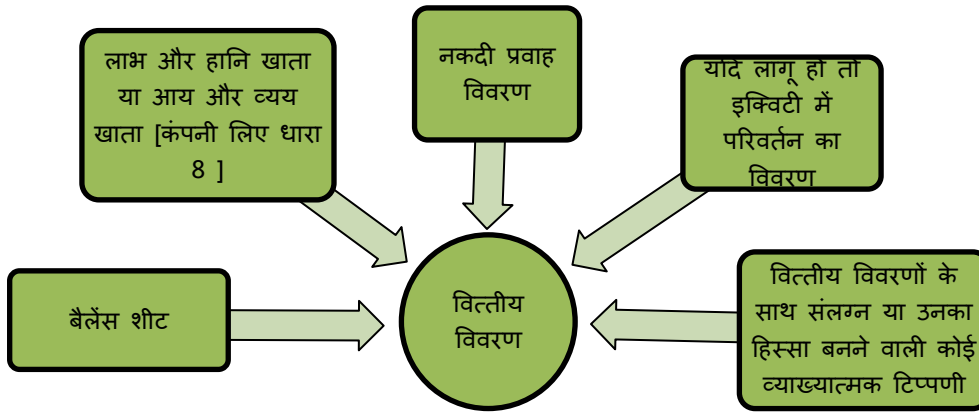

हालाँकि, एक व्यक्ति, छोटी कंपनी और निष्क्रिय कंपनी के संबंध में वित्तीय विवरण में नकदी प्रवाह विवरण शामिल नहीं हो सकता है।

छूट: निजी कंपनियों के लिए धारा 2(40) के नियम को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"हालाँकि, एकल, छोटी कंपनी, निष्क्रिय कंपनी और निजी कंपनी (यदि ऐसी निजी कंपनी एक स्टार्ट-अप है) के संबंध में वित्तीय विवरण में नकदी प्रवाह विवरण शामिल नहीं हो सकता है।

---

[1]खंड रिपोर्टिंग पर प्रासंगिक लेखा मानक के आवेदन की सीमा रक्षा उत्पादन में लगी सरकारी कंपनियों पर धारा 129 लागू नहीं होगी। [अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(अ) दिनांक 5 जून, 2015]

© The Institute of Chartered Accountants of India

स्पष्टीकरण - औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अधिनियमो के प्रयोजनों के लिए "स्टार्ट-अप" या "स्टार्ट-अप कंपनी" शब्द का अर्थ कंपनी अधिनियम 2013 या कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित एक निजी कंपनी है और इसके अनुसार यह स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता प्राप्त है।

जिसने अपने वित्तीय विवरण दाखिल करने में कोई चूक नहीं की है अपवाद, संशोधन और अनुकूलन निजी कंपनी पर उक्त अधिनियम की धारा 137 के तहत या उक्त अधिनियम की धारा 92 के तहत रजिस्ट्रार के पास वार्षिक रिटर्न पर लागू होंगे।

वित्तीय वर्ष के लिए और अनुसूची III की आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किया जाना चाहिए।

"वित्तीय वर्ष" [धारा 2(41)], किसी भी कंपनी या निगमित निकाय के संबंध में प्रत्येक वर्ष मार्च की 31वीं तारीख को समाप्त होने वाली अवधि का मतलब है कि इसे 1 जनवरी को या उसके बाद शामिल किया गया है। जिसके संबंध में कंपनी या निगमित निकाय का वित्तीय विवरण इस वर्ष या वर्ष के मार्च के 31वीं तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तैयार किया गया है।

उदाहरण 2: महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड को 22 फरवरी 2014 को एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। अब पहले वित्तीय विवरणों के लिए समाप्त होने वाली अवधि अगले वर्ष की 31 मार्च यानी 31 मार्च 2015 होगी।

हालाँकि, जब कोई कंपनी या निगमित निकाय जो एक होल्डिंग कंपनी हो तथा भारत के बाहर निगमित कंपनी की सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी है तो उसे भारत से बाहर अपने खातों के समेकन के लिए एक अलग वित्तीय वर्ष का पालन करना आवश्यक है केंद्र सरकार उस कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किसी भी अवधि को उसके वित्तीय वर्ष के रूप में अनुमति निर्धारित कर सकती है इसके लिए चाहे वह अवधि एक वर्ष हो या नहीं।

हालाँकि, कंपनी (संशोधन) अध्यादेश 2018 के प्रारंभ होने की तारीख को प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी आवेदन का निपटारा पहले से उस पर लागू प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

हालाँकि, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर विद्यमान कोई कंपनी या निगमित निकाय शुरुआत से दो वर्ष की अवधि के भीतर इस खंड के प्रावधानों के अनुसार अपने वित्तीय वर्ष को संरेखित करेगा।

अनुसूची III द्वारा *अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 404(ई)* को संशोधित किया गया है। दिनांक 6 अप्रैल 2016 जिसके अनुसार अनुसूची III को दो भागों में विभाजित किया गया है।

डिवीजन I एक कंपनी के लिए वित्तीय विवरण से संबंधित है जिसका *वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा मानक) नियम 2006*[2] का अनुपालन करने के लिए आवश्यक है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

डिवीजन II एक कंपनी के लिए वित्तीय विवरण से संबंधित है जिसका *वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015*[3] का अनुपालन करने के लिए आवश्यक है।

सही और निष्पक्ष विचार

धारा 129(1) के अनुसार वित्तीय विवरण कंपनी या कंपनियों के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी देंगे। यह धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों का पालन करेगा और अनुसूची III में कंपनियों के विभिन्न वर्गों के लिए प्रदान किए जा सकने वाले स्वरूपों में होगा।

हालाँकि, ऐसे वित्तीय विवरणों में निहित मदें लेखांकन मानकों के अनुसार होंगी।

गैर प्रयोज्यता

हालाँकि, इस उप-धारा में निहित किसी भी बीमा या बैंकिंग कंपनी या बिजली के उत्पादन या आपूर्ति में लगी किसी भी कंपनी या कंपनी के किसी अन्य वर्ग जिसके लिए वित्तीय विवरण का निर्दिष्ट स्वरूप या इसके तहत कंपनी के ऐसे वर्ग को नियंत्रित करने वाला अधिनियम लागू नहीं होगा:

हालाँकि, केवल इस तथ्य के कारण कि वह वित्तीय विवरणों को कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण का खुलासा नहीं करने के रूप में नहीं माना जाएगा -

कंपनी के प्रकार	तत्थ
बीमा कंपनी	ऐसे मामले जिनमें बीमा अधिनियम, 1938 या बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है
बैंकिंग कंपनी	वे मामले जिन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है
बिजली के उत्पादन या आपूर्ति में लगी कंपनी	ऐसे मामले जिन्हें विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है
किसी अन्य कानून द्वारा नियंत्रित कंपनी	ऐसे मामले जिन्हें उस कानून द्वारा प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है

टिप्पणी: गैर-प्रयोज्यता के संबंध में धारा 129(1) के प्रावधान में कहा गया है कि केवल उन मामलों में उपरोक्त अधिनियमों के तहत प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है जिनमें ऊपर दी गई कंपनियों के वित्तीय विवरणों में ऐसी कंपनियों और कंपनी के मामलों में स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को सही रूप से प्रदर्शित नहीं करने पर वित्तीय विवरण मान्य नहीं होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

वित्तीय विवरण रखना [धारा 129(2)]

कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष में ऐसी बैठक को वित्तीय विवरण से पहले रखना होगा।

वित्तीय विवरणों का समेकन [धारा 129(3)]

(1) जब किसी कंपनी की एक या अधिक सहायक या सहयोगी कंपनियाँ हैं तो उप-धारा (2) के तहत प्रदान किए गए वित्तीय विवरणों के अलावा कंपनी और सभी सहायक और सहयोगी कंपनियों का एक समेकित वित्तीय विवरण (CFS) तैयार करेगी। कंपनियों को उसी रूप में और तरीके से और लागू लेखा मानकों के अनुसार कंपनी की वार्षिक आम बैठक से पहले उप-धारा (2) के तहत उसके वित्तीय विवरण को साथ में रखा जाएगा।

कंपनी अपने वित्तीय विवरण के साथ *कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसार फॉर्म एओसी-1* में अपनी सहायक और सहयोगी कंपनी या कंपनियों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला एक अलग विवरण भी संलग्न करेगी। .

हालाँकि, केंद्र सरकार *कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 6* के तहत निर्धारित तरीके से कंपनियों के खातों के समेकन के लिए प्रावधान कर सकती है।

स्पष्टीकरण - इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए "सहायक" शब्द में सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम शामिल होंगे।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 6 में निम्नलिखित तरीके से कंपनियों के खातों के समेकन का प्रावधान है

खातों के समेकन का तरीका: कंपनी के वित्तीय विवरणों का समेकन अधिनियम की अनुसूची III के प्रावधानों और लागू लेखा मानकों के अनुसार किया जाएगा।

ऐसे मामले जहाँ कंपनी को सीएफएस तैयार करने की आवश्यकता नहीं है: धारा 129 की उप-धारा (3) के तहत कवर की गई कंपनी जिसे लेखा मानकों के तहत समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है यदि कंपनी अधिनियम की अनुसूची III में प्रदान किए गए वित्तीय विवरण में समेकित के प्रावधानों का अनुपालन करती है तो यह पर्याप्त होगा।

सीएफएस की तैयारी से छूट: कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2016 के अनुसार कंपनी द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) यह एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है या जिसमें शामिल किसी अन्य कंपनी और उसके सभी अन्य सदस्यों की आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी तथा जिसके लिए ऐसी सूचना के वितरण का प्रमाण कंपनी के पास उपलब्ध है कंपनी द्वारा समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं करने पर आपत्ति नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें लिखित रूप में सूचित किया गया है और ये वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

(ii) यह एक ऐसी कंपनी है जिसकी प्रतिभूतियां सूचीबद्ध नहीं हैं या किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में नहीं हैं चाहे वह भारत में हो या बाहर; तथा

(iii) इसकी अंतिम या कोई मध्यवर्ती होल्डिंग कंपनी रजिस्ट्रार के पास समेकित वित्तीय विवरण फाइल करती है जो लागू लेखा मानकों के अनुपालन में हैं।

हालाँकि, इस नियम में निहित कुछ भी किसी अन्य कानून या विनियम के अधीन नहीं होगा 1 अप्रैल, 2014 से शुरू होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगा, ऐसी कंपनी के मामले में जिसकी सहायक कंपनी नहीं है या सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों या दोनों के संबंध में वित्तीय विवरण के समेकन का मामला है जिसमे एक या एक से अधिक सहयोगी कंपनियाँ या संयुक्त उद्यम या दोनों हैं।

उपरोक्त प्रावधान में कहा गया है कि ऐसी कंपनी जिसकी सहायक कंपनियाँ नहीं हैं, लेकिन एक या अधिक सहयोगी कंपनियाँ या संयुक्त उद्यम या दोनों हैं उन्हें सहयोगी कंपनियों के संबंध में वित्तीय विवरणों के समेकन या संयुक्त उद्यम या दोनों, जैसे मामले में केवल 1 अप्रैल, 2014 से शुरू होने वाले और मार्च, 2015 के 31 वें दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए के इस नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

हालाँकि, 1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद भारत से बाहर निगमित सहायक या सहायक कंपनियों वाली कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण के समेकन के संबंध में इस नियम में कुछ भी लागू नहीं होगा।

(2) एक होल्डिंग कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने और लेखा परीक्षा के लिए लागू प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के साथ समेकित वित्तीय विवरणों पर भी लागू होंगे **[धारा 129(4)]**।

(3) उप-धारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जब किसी कंपनी के वित्तीय विवरण उप-धारा (1) में निर्दिष्ट लेखा मानकों का पालन नहीं करते हैं था विचलन लेखांकन मानकों और वित्तीय विचलन से उत्पन्न होने वाले अन्य प्रभाव यदि कोई हों तो उसका कंपनी अपने वित्तीय वक्तव्यों में खुलासा करेगी **[धारा 129(5)]**।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(4) केंद्र सरकार स्वयं या कंपनियों के एक वर्ग या वर्गों के आवेदन पर अधिसूचना द्वारा किसी वर्ग की कंपनियों को इस धारा या इसके तहत बनाए गए नियमों की किसी भी आवश्यकताओं के अनुपालन में यदि जनहित में छूट देना आवश्यक समझती है तो छूट दे सकती है और ऐसी कोई भी छूट या तो बिना शर्त या अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन दी जा सकती है **[धारा 129(6)]**।

सजा का प्रावधान [धारा 129(7)]

यदि कोई कंपनी इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो प्रबंध निदेशक, वित्त के प्रभारी पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी या बोर्ड द्वारा आरोपित कोई अन्य व्यक्ति जिसे इस धारा की आवश्यकताओं का अनुपालन करने का दायित्व सौंपा गया है। ऊपर वर्णित किसी भी अधिकारी की अनुपस्थिति में, सभी निदेशकों को एक वर्ष का कारावास या पचास हजार रुपए से पाँच लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों होगा। .

कंपनी धारा 129 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है

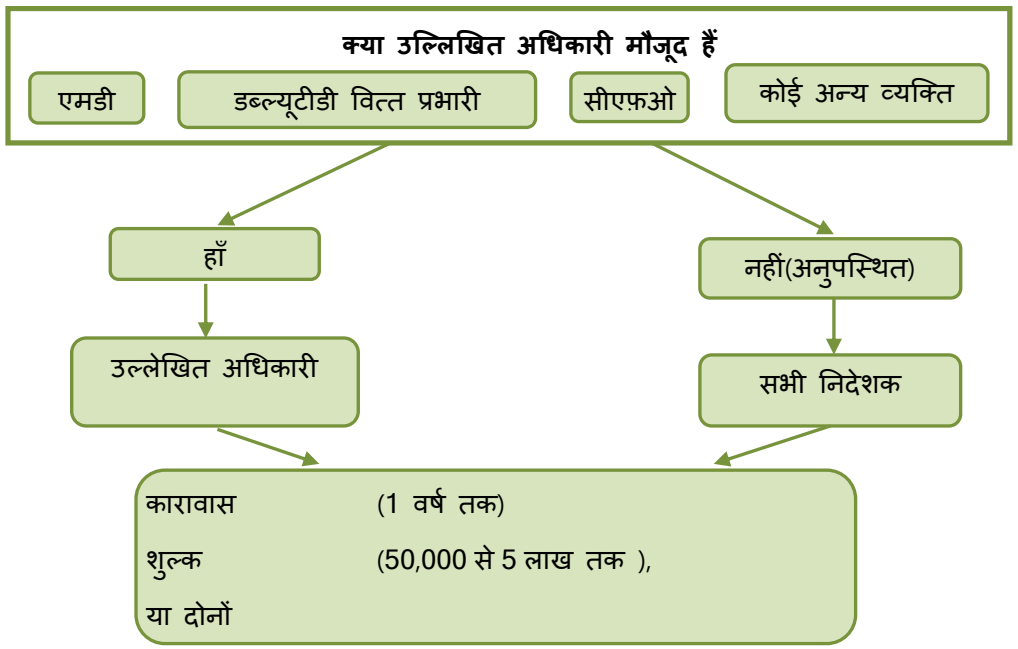

स्पष्टीकरण: किसी भी संदर्भ में धारा 129 के वित्तीय विवरण के अधिनियम के तहत इस तरह के सूचनाओ को देने या सूचनाओ की अनुमति देने के लिए आवश्यक जानकारी देने वाले ऐसे वित्तीय विवरण के साथ सूचना के सभी भाग संलग्न होंगे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

4. आवधिक वित्तीय परिणाम [धारा 129A]

केंद्र सरकार असूचीबद्ध कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों की अपेक्षा कर सकती है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है-

(a) कंपनी के वित्तीय परिणाम ऐसे आवधिक आधार पर और ऐसे रूप में तैयार करने के लिए जो निर्धारित किया जा सकता है

(b) निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए और इस तरह के आवधिक वित्तीय परिणामों की पूर्ण लेखा जाँच या सीमित समीक्षा इस तरह से निर्धारित की जा सकती है तथा

(c) संबंधित अवधि के पूरा होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसी फीस के साथ एक प्रतिदर्ज करें जो निर्धारित की जा सकती है।

5. अदालत के प्राधिकरण के आदेशों पर खातों को पुनः खोलना [धारा 130]

यह धारा खातों की पुस्तकों को फिर से खोलने और वित्तीय विवरणों की पुनर्रचना के लिए प्रदान करना चाहता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

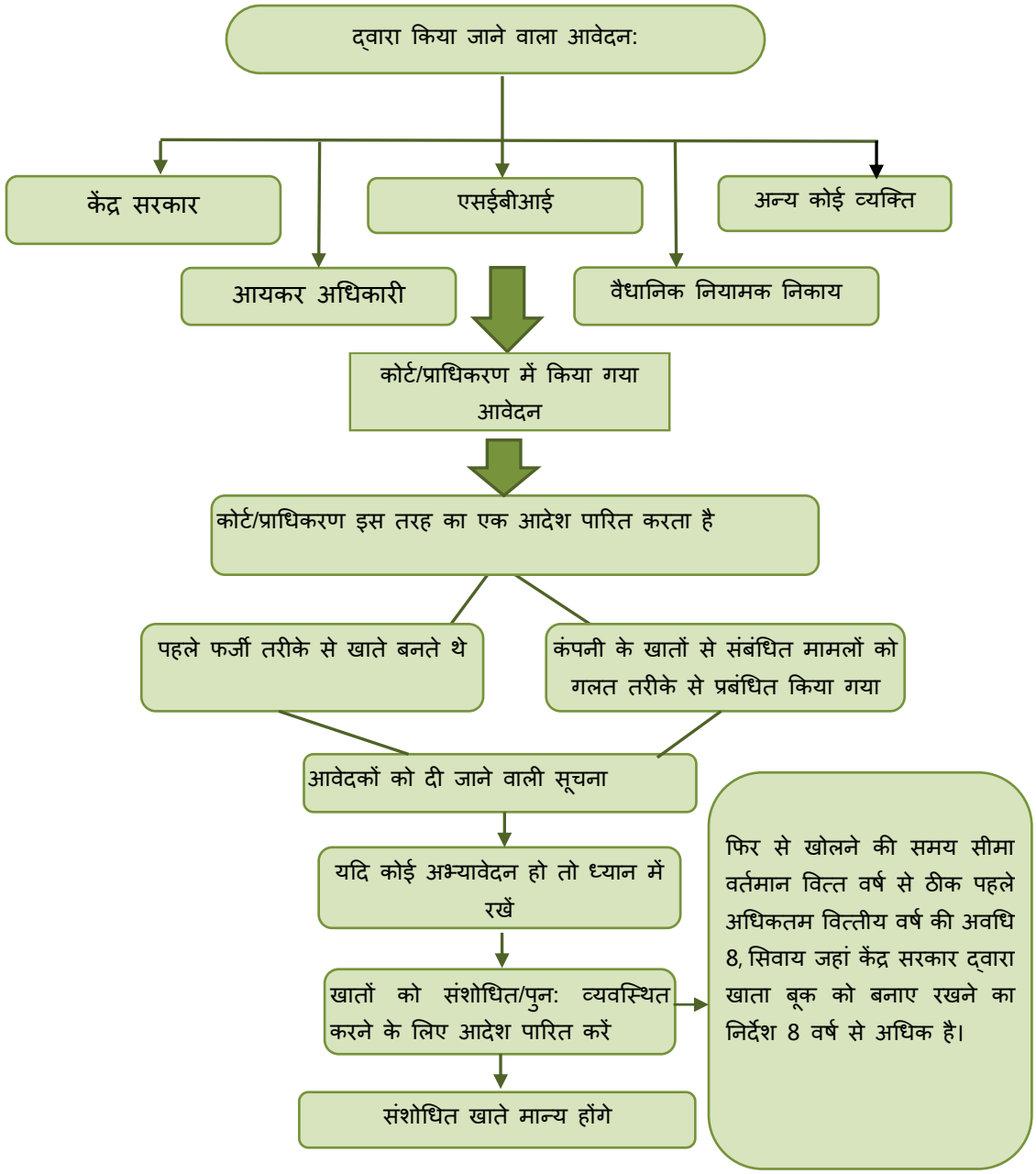

(1) खातों को फिर से खोलने के लिए अदालत में आवेदन करना- एक कंपनी अपनी लेखा पुस्तकों को फिर से नहीं खोलेगी और अपने वित्तीय विवरणों को दोबारा नहीं बदलेगी जब तक कि इस संबंध में आवेदन नहीं किया जाता है-

© The Institute of Chartered Accountants of India

(a) केंद्र सरकार,

(b) आयकर अधिकारी

(c) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

(d) कोई अन्य वैधानिक नियामक निकाय या प्राधिकरण या संबंधित कोई भी व्यक्ति और एक आदेश सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या अधिकरण द्वारा इस आशय से किया जाता है कि-

(i) पहले के प्रासंगिक खाते गलत तरीके से खोले गए थे; या

(ii) कंपनी के मामलों को प्रासंगिक अवधि के दौरान गलत तरीके से प्रबंधित किया गया था जिससे वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हुआ था

नोटिस की सूचना: हालाँकि, कोर्ट या प्राधिकरण का कोई भी मामला हो केंद्र सरकार, आयकर अधिकारियों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड या किसी अन्य वैधानिक नियामक निकाय, संबंधित प्राधिकरण या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति को नोटिस देगा। और इस धारा [उप-धारा (1)] के तहत कोई आदेश पारित करने से पहले उस सरकार या अधिकारियों सेबी या संबंधित निकाय या प्राधिकरण या अन्य संबंधित व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करेगा।

(2) संशोधित खातों का मान्य होना : इस प्रकार संशोधित या पुन: कास्ट किए गए खाते ही मान्य होंगे।

(3) खाते की पुस्तकों को फिर से खोलने के संबंध में समय सीमा: उप-धारा (1) के तहत चालू वित्तीय वर्ष से आठ वित्तीय वर्षों पहले की अवधि से संबंधित खाते की पुस्तकों को फिर से खोलने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

हालाँकि, जहाँ केंद्र सरकार द्वारा धारा 128 की उप-धारा (5) के प्रावधान के तहत आठ साल से अधिक की अवधि के लिए लेखा पुस्तकों को रखने के लिए एक निर्देश जारी किया गया है जो इस अवधि के भीतर खोले गए लेखा पुस्तकों को फिर से चालू करने का आदेश दिया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

6. वित्तीय विवरणों या बोर्ड की रिपोर्ट का स्वैच्छिक संशोधन [धारा 131]

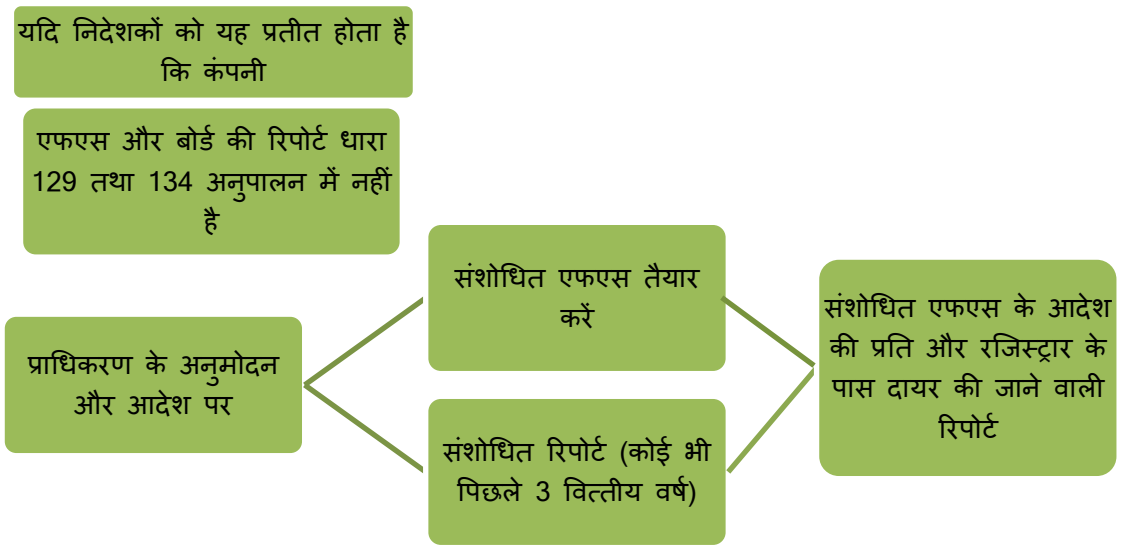

(1) प्राधिकरण के अनुमोदन पर संशोधित वित्तीय विवरण या संशोधित रिपोर्ट तैयार करना: यदि किसी कंपनी के निदेशकों को यह प्रतीत होता है कि-

(a) कंपनी का वित्तीय विवरण; या

(b) बोर्ड की रिपोर्ट,

जैसा कि निर्धारित किया गया है धारा 129 या 134 के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं वे कंपनी द्वारा इस तरह के तरीके से किए गए आवेदन पर प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में से किसी के संबंध में संशोधित वित्तीय विवरण या रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार के पास दायर की जाएगी।

स्पष्टीकरण: धारा 131 वित्तीय विवरण या बोर्ड की रिपोर्ट के संशोधन और धारा 130 के विपरीत निदेशक मंडल की राय में स्वैच्छिक आधार पर जैसे मामले से संबंधित है।

प्राधिकरण द्वारा नोटिस देना:

प्राधिकरण केंद्र सरकार और आयकर अधिकारियों को नोटिस देगा और इस धारा के तहत कोई आदेश पारित करने से पहले उस सरकार या अधिकारियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

रिवीजन और रीकास्ट के समय की संख्या:

संशोधित वित्तीय विवरण या रिपोर्ट एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार बनाया या फाइल नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: उपरोक्त प्रावधान में कहा गया है कि जब कोई कंपनी अपने वित्तीय विवरण या बोर्ड की रिपोर्ट को तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में से किसी वर्ष मे संशोधित किया है तो इस तरह के संशोधित वित्तीय विवरण या बोर्ड की रिपोर्ट इस अवधि के लिए फिर से संशोधित नहीं किया जाएगा।

संशोधन के कारण का खुलासा करना:

संशोधन किए जा रहे ऐसे वित्तीय विवरण या रिपोर्ट के पुनरीक्षण के विस्तृत कारणों का खुलासा उस संगत वित्तीय वर्ष में बोर्ड की रिपोर्ट में भी किया जाएगा

(2) संशोधन की सीमाएं: जब पिछले वित्तीय विवरण या रिपोर्ट की प्रतियां सदस्यों को भेजी गई हैं या रजिस्ट्रार को दी गई हैं या कंपनी के आम बैठक में रखी गई हैं तो संशोधनों को सीमित किया जाना चाहिए-

(a) सुधार जिसके संबंध में पिछले वित्तीय विवरण या रिपोर्ट धारा 129 या धारा 134 के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं; तथा

(b) किसी भी आवश्यक परिणामी विकल्प का निर्माण।

(3) संशोधित वित्तीय विवरण या निदेशक की रिपोर्ट के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाना: केंद्र सरकार विशेष रूप से संशोधित वित्तीय विवरण या संशोधित निदेशक की रिपोर्ट और ऐसे नियमों के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

(a) यदि किसी में सुधार किए जाने का संकेत मिलता है तो विभिन्न प्रावधानो के अनुसार पिछले वित्तीय विवरण या रिपोर्ट को या एक पूरक दस्तावेज द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

(b) संशोधित वित्तीय विवरण या रिपोर्ट के संबंध में कंपनी के लेखा परीक्षक के कार्यों के संबंध में प्रावधान करना।

(c) निदेशकों को निर्धारित किए कदम उठाने की आवश्यकता है

© The Institute of Chartered Accountants of India

7. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन [धारा 132]

(1) केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के तहत लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों से संबंधित मामलों को प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) का गठन कर सकती है।

(1A) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अपने कार्यों को निर्धारित किए जा सकने वाले डिवीजनों के माध्यम से करेगा।

(2) तत्समय लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी एनएफआरए-

(a) कंपनियों या उनके लेखा परीक्षकों द्वारा अपनाने के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों और मानकों को तैयार करने और निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें करना।

(b) लेखांकन मानकों और लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है।

(c) ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने से जुड़े व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करना और सेवा की गुणवत्ता और ऐसे अन्य संबंधित मामलों में सुधार के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देना निर्धारित किया जा सकता है। तथा

(d) खंड (a), (b) और (c) से संबंधित ऐसे अन्य कार्यों को निर्धारित किया जा सकता है।

(3) एनएफआरए में एक अध्यक्ष शामिल होगा, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लेखा, लेखा परीक्षा, वित्त या कानून में विशेषज्ञता प्राप्त करेगा और ऐसे अन्य सदस्य पंद्रह से अधिक नहीं होंगे जिनमें अंशकालिक और पूर्णकालिक सदस्य शामिल होंगे जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:

(3A) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के प्रत्येक प्रभाग की अध्यक्षता अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत पूर्णकालिक सदस्य द्वारा की जाएगी।

(3B) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का एक कार्यकारी निकाय होगा जिसमें उप-धारा (2) [खंड (a) के अलावा] और उप-धारा (4) के तहत अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए ऐसे प्राधिकरण के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य शामिल होंगे।

हालाँकि, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का तरीका निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार होगा।

हालाँकि, अध्यक्ष और सदस्य अपनी नियुक्ति के संबंध में हितों के टकराव या स्वतंत्रता की कमी के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में केंद्र सरकार को घोषणा करेंगे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

हालाँकि, अध्यक्ष और सदस्य, जो एनएफआरए के साथ पूर्णकालिक रूप में हैं उनकी नियुक्ति के दौरान और ऐसी नियुक्ति को रोकने के दो साल बाद किसी भी लेखा-परीक्षा फर्म (संबंधित परामर्श फर्मों सहित) से जुड़े नहीं होंगे।

(4) कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में निहित होने के बावजूद एनएफआरए-

(a) निगमित निकायों या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के तहत पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का कोई सदस्य या फर्म *स्वप्रेरणा* या केंद्र सरकार द्वारा किए गए आदेश पर **जाँच करने का अधिकार** है इसे पेशेवर या अन्य कदाचार के मामलों में निर्धारित किया जा सकता है।

हालाँकि, जब एनएफआरए ने इस धारा के तहत जाँच शुरू की है तो कोई अन्य संस्थान या निकाय कदाचार के ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही शुरू या जारी नहीं करेगा।

(b) के निम्नलिखित मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत दीवानी अदालत में निहित समान शक्तियां हैं, अर्थात्: -

(i) ऐसे समय पर खाता बूक एनएफआरए द्वारा निर्दिष्ट स्थान व अन्य दस्तावेजों की खोज और उत्पादन करना।

(ii) व्यक्तियों को बुलाना, उन्हें उपस्थित कराना और शपथ पर उनकी परीक्षण करना;

(iii) किसी भी स्थान पर खंड (b) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की पुस्तकों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करना।

(iv) गवाहों या दस्तावेजों की परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना;

(c) जब पेशेवर या अन्य कदाचार साबित होता है तो एनएफआरए के पास आदेश देने की शक्ति होगी-

(A) जुर्माना लगाने की -

I. व्यक्तियों के मामले में कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना होगा लेकिन प्राप्त शुल्क के पाँच गुना तक बढ़ाया जा सकता है; तथा

II. फर्मों के मामले में कम से कम पाँच लाख रुपये, लेकिन जो प्राप्त शुल्क के दस गुना तक बढ़ाया जा सकता है;

(B) सदस्यता या फर्म से वंचित करने की -

© The Institute of Chartered Accountants of India

I. किसी कंपनी या निगमित निकाय के कार्यों और गतिविधियों के वित्तीय विवरणों या आंतरिक लेखा परीक्षा के संबंध में जो कोई लेखा परीक्षण कर रहा है उसे एक लेखा परीक्षक या आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।या

II. धारा 247 के तहत प्रदान किए गए किसी भी मूल्यांकन को न्यूनतम छह महीने या इससे ज्यादा की अवधि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

स्पष्टीकरण- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "पेशेवर या अन्य कदाचार" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत दिया गया है।

एनएफआरए के आदेशों के खिलाफ अपील

उप-धारा (4) के खंड (c) के तहत जारी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के किसी भी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष इस तरह से और इस तरह के निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अपील कर सकता है

एनएफआरए की बैठकें

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण समय और स्थानों पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में व्यवसाय के लेन-देन के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के नियमों का पालन करेगा।

सचिव और अन्य कर्मचारी

केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा कार्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सचिव और ऐसे अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है और सचिव और कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें निर्धारित होंगी।

एनएफ़आरए का प्रधान कार्यालय

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण भारत में अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी स्थान पर बैठक कर सकता है।

एनएफआरए द्वारा पुस्तकों का रखरखाव

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण भारत के नियंत्रक-लेखा-परीक्षा र के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित और अपने खातों के संबंध में ऐसी लेखा पुस्तकों और अन्य पुस्तकों को बनाए रखेगा।

एनएफआरए के खातों की लेखा-परीक्षा

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के खातों का लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक-लेखा-परीक्षक द्वारा निर्दिष्ट अंतरालों पर की जाएगी और ऐसे खाते जो भारत के नियंत्रक-लेखा-परीक्षक द्वारा प्रमाणित

© The Institute of Chartered Accountants of India

किए गए हैं उस पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष अग्रेषित किया जाए।

एनएफआरए के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए समय पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसकी एक प्रति केंद्र सरकार को अग्रेषित करेगा। भारत के नियंत्रक-लेखा-परीक्षक द्वारा दी गई वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

केंद्र सरकार ने धारा 132 की उप-धारा (2) और (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 (एनएफआरए नियम) का गठन किया।

एनएफआरए नियमों के अनुसार एनएफआरए के पास लेखा मानकों और लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी धारा 132 की लेखा-परीक्षा की उप-धारा (2) के तहत सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करने या इस तरह की धारा की उप-धारा (4) के तहत जाँच करने की शक्ति होगी। नियम 3 एनएफआरए द्वारा शासित कंपनियों और निगमित निकायों के वर्गों के लिए प्रावधान करता है।

(a) कंपनियाँ जिनकी प्रतिभूतियां भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं;

(b) गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियाँ जिनकी जमा पूंजी पाँच सौ करोड़ रुपये से कम नहीं है या जिनका वार्षिक कारोबार एक हजार करोड़ रुपये से कम नहीं है या कुल मिलाकर बकाया ऋण डिबेंचर और जमा राशि ठीक गत वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पाँच सौ करोड़ रुपये से कम नहीं है

(c) बीमा कंपनियों, बैंकिंग कंपनियों, किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित बिजली कंपनियों के उत्पादन या आपूर्ति में लगी कंपनियाँ या अधिनियम द्वारा खंड (b), (c), d) के अनुसार निगमित निकाय या निकाय।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए "बैंकिंग कंपनी" में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 2 (d) और धारा 2 (b) में परिभाषित 'संबंधित नया बैंक' शामिल है। बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 और 'सहायक बैंक' जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 2 (k) में परिभाषित है।

(d) सार्वजनिक हित में केंद्र सरकार द्वारा एनएफआरए को किए गए निगमित निकाय या कंपनी या व्यक्ति, या निगमित निकायों का कोई वर्ग या कंपनियाँ या इससे संबन्धित कोई भी व्यक्ति; तथा

© The Institute of Chartered Accountants of India

(e) भारत के बाहर निगमित या पंजीकृत निकाय जो किसी कंपनी की सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी है या भारत में निगमित या पंजीकृत निकाय है तथा जो ऊपर खंड (a) से (d) तक नियम के अंतर्गत है यदि ऐसी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी ऐसी कंपनी या निगमित निकाय के आय या नेटवर्थ का मामला है जिसकी समेकित आय या समेकित निवल मूल्य के 20% से अधिक है

इन नियमों द्वारा संचालित कंपनी के अलावा प्रत्येक मौजूदा निगमित निकाय एनएफआरए इस नियम के लागू होने के 30 दिनों के भीतर एनएफआरए को फॉर्म एनएफआरए -1 के अनुसार लेखा-परीक्षक के विवरण को सूचित करेगा।

एनएफआरए नियमों के तहत संचालित कंपनी के अलावा कोई कंपनी या निगमित निकायएनएफआरए द्वारा 3 साल की अवधि के लिए संचालित होगा जब तक कि यह सूचीबद्ध नहीं हो जाता है या इसकी चुकता पूंजी या कारोबार या ऋण, डिबेंचर और जमा का कुल योग उसमें बताई गई सीमा से नीचे नहीं आ जाता है [अर्थात ऊपर (a) से (e) तक के बिंदुओं में उल्लिखित]।

गैर-अनुपालन के मामले में सजा - यदि कोई कंपनी, कंपनी का कोई अधिकारी, लेखा-परीक्षक या कोई अन्य व्यक्ति एनएफआरए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो कंपनी और कंपनी का हर अधिकारी, लेखा-परीक्षक या कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो डिफॉल्टर हो वह अधिनियम की धारा 450 के प्रावधानों के अनुसार दंडनीय होगा।

8. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लेखा मानक [धारा 133]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 लेखा मानकों को निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति से संबंधित है।

केंद्र सरकार एनएफआरए द्वारा की गई सिफारिशों की जाँच के बाद और परामर्श के बाद आईसीएआई द्वारा अनुशंसित लेखांकन मानकों या उसके किसी भी परिशिष्ट को निर्धारित कर सकती है।

हालाँकि, जब तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के तहत एनएफआरए का गठन नहीं किया जाता है तब तक केंद्र सरकार राष्ट्रीय सलाहकार द्वारा की गई सिफारिशों की जाँच के बाद और उसके परामर्श से आईसीएआई द्वारा पिछले कंपनी कानून के तहत गठित लेखा मानकों पर समिति (एनएसीएएस) के अनुशंसित लेखांकन मानकों या उसके किसी भी परिशिष्ट को निर्धारित कर सकती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

9. वित्तीय विवरण बोर्ड की रिपोर्ट आदि [धारा 134]

धारा 134 में प्रावधान है कि समेकित वित्तीय विवरणों सहित वित्तीय विवरण को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए इससे पहले कि वे हस्ताक्षरित हों और उनकी रिपोर्ट के लिए लेखापरीक्षकों को प्रस्तुत करें। प्रत्येक वित्तीय विवरण के साथ अंकेक्षक की रिपोर्ट संलग्न की जानी है। निदेशक मंडल द्वारा एक रिपोर्ट जिसमें निर्दिष्ट मामलों पर विवरण व निदेशक की जिम्मेदारी शामिल है जिसमे कंपनी के सामने रखे गए प्रत्येक वित्तीय विवरण के साथ संलग्न किया जाएगा। जिसमे बोर्ड की रिपोर्ट और प्रत्येक अनुबंध पर सही ढंग से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। प्रत्येक वित्तीय विवरण की एक हस्ताक्षरित प्रति सभी समीक्षाओ दस्तावेजों लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को बोर्ड की रिपोर्ट के साथ जारी या प्रकाशित की जाएगी। यह खंड किसी भी उल्लंघन के मामले में कंपनी और कंपनी के प्रत्येक अधिकारी के लिए दंडात्मक प्रावधानों का भी प्रावधान करता है।

(i) वित्तीय विवरणो का प्रमाणीकरण [धारा 134(1), (2) और (7)]:

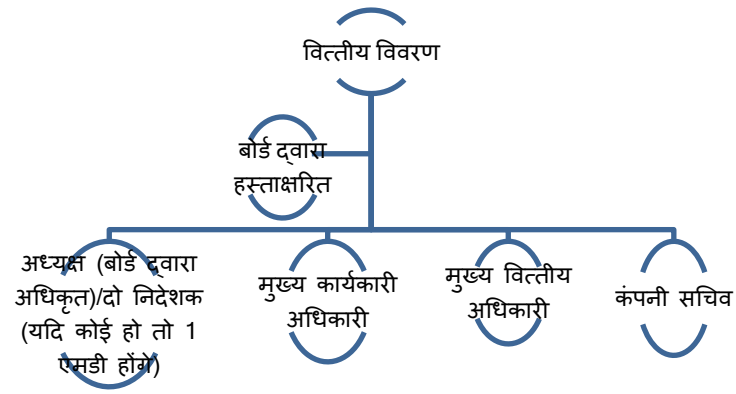

(a) वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण सहित, बोर्ड की ओर से हस्ताक्षर करने से पहले निदेशक मंडल द्वारा उस कंपनी के अध्यक्ष जो बोर्ड द्वारा अधिकृत हो अनुमोदित किया जाएगा है या दो निदेशकों में से एक प्रबंध निदेशक और कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव नियुक्त किए जाते हैं, या कंपनी के मामले में निदेशक द्वारा उसकी रिपोर्ट लेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की जाती है।

(b) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रत्येक वित्तीय विवरण [उप-धारा (2)] से जुड़ी होगी।

(c) यदि कोई समेकित वित्तीय विवरण हो तो उसके सहित प्रत्येक वित्तीय विवरण की एक हस्ताक्षरित प्रति [धारा 134 (7)] उसके साथ जारी, परिचालित या प्रकाशित की जाएगी -

(1) ऐसे वित्तीय विवरण के साथ संलग्न या उसका हिस्सा बनने वाली कोई भी टिप्पणी

(2) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा

© The Institute of Chartered Accountants of India

(3) बोर्ड की रिपोर्ट उप धारा 3 में संदर्भित है।

उदाहरण 3: एबीसी लिमिटेड का निदेशक मंडल कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक से पहले अलेखापरीक्षित खातों को परिचालित करना चाहता है। क्या एबीसी लिमिटेड का ऐसा कृत्य उचित है?

उत्तर: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(2) में प्रावधान है कि कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी बैठक के वित्तीय विवरणों से पहले रखना होगा। जो धारा 134(7) में प्रावधान है कि समेकित वित्तीय विवरण सहित प्रत्येक वित्तीय विवरण की हस्ताक्षरित प्रति जारी, परिचालित या प्रत्येक की एक प्रति के साथ प्रकाशित की जाएगी:

(a) ऐसे वित्तीय विवरण के साथ संलग्न या उसका हिस्सा बनने वाला कोई भी प्रति;

(b) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट; तथा

(c) बोर्ड की रिपोर्ट

इसलिए अनअंकेक्षित खाते सदस्यों को नहीं भेजे जा सकते हैं या अलेखापरीक्षित खाते कंपनी रजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं किए जा सकते हैं। अत: एबीसी लिमिटेड का ऐसा कृत्य तर्कसंगत नहीं है।

(ii) बोर्ड की रिपोर्ट [धारा 134(3) और (4) कंपनी का (अकाउंट) नियम 2014 का नियम 8 पढे]:

(1) कंपनी (अकाउंट) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट कंपनी का स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के आधार पर तैयार की जाएगी तथा सहायक कंपनियों, सहयोगियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों और उनके रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कंपनी के समग्र प्रदर्शन में योगदान करेगी।

(2) नियम 8 के साथ धारा 134 की उप-धारा (3) बोर्ड की रिपोर्ट की निम्नलिखित सामग्री को निर्धारित करती है:

(a) यदि कोई वेब पता हो तो उसे धारा 92 (वार्षिक विवरणी) की उप-धारा (3) में संदर्भित वार्षिक रिटर्न रखा गया है;

(b) बोर्ड की बैठकों की संख्या;

(c) निदेशकों के बयान की जिम्मेदारी;

(ca) धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण (लेखा परीक्षकों की शक्तियां और कर्तव्य और लेखा परीक्षा मानक) जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य हैं;

(d) धारा 149 की उप-धारा (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा पर दिया गया बयान (कंपनी के पास स्वतंत्र निदेशक के संबंध में निदेशक मंडल है);

© The Institute of Chartered Accountants of India

(e) धारा 178 (नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति) की उप-धारा (1) के तहत आने वाली कंपनी की धारा 178 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान किए गए निदेशक और अन्य मामले जिसमे निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति योग्यता, सकारात्मक गुण, एक की स्वतंत्रता निर्धारित करने के मानदंड शामिल हैं।

टिप्पणी : उपरोक्त खंड (e) सरकारी कंपनी के मामले में लागू नहीं होगा।

(f) प्रत्येक योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणियां-

(i) लेखापरीक्षक द्वारा बनाई गयी रिपोर्ट तथा

(ii) कंपनी सचिव द्वारा अपनी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

(g) धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

(h) धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण एओसी-2 के रूप में

(i) कंपनी के मामलों की स्थिति

(j) वह राशि जिसे किसी आरक्षित निधि में ले जाने का प्रस्ताव करता है

(k) वह राशि जिसे लाभांश के रूप में भुगतान की जानी चाहिए;

(l) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख से संबंधित है;

(m) ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय, ऐसी रीति से निर्धारित की जाए हालाँकि,, सरकार. रक्षा उपकरणों के उत्पादन में लगी कंपनियों को इस खंड के तहत प्रकटीकरण में छूट दी गई है।

(n) कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन को इंगित करने वाला एक बयान जिसमें जोखिम के तत्वों की पहचान जिससे बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व को खतरा हो सकता है।

(o) वर्ष के दौरान की गई कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारीयों की पहल पर कंपनी द्वारा विकसित और कार्यान्वित नीति के बारे में ब्यौरा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(p) सूचीबद्ध कंपनी के मामले में हर दूसरी सार्वजनिक कंपनी के पास ऐसी निर्धारित शेयर पूंजी है जिसमे बोर्ड के विवरण से समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया गया है।

नियम 8(4) के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी जिसकी पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में पच्चीस करोड़ रुपये या उससे अधिक की चुकता शेयर पूंजी है उसके निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल होने वाली विवरण जिसमें बोर्ड द्वारा अपने स्वयं की अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया है।

सरकारी कंपनी को प्राप्त छूट- यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाता है जो कंपनी के प्रशासनिक प्रभारी भी हैं तो राज्य सरकार की अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार धारा 134 की उप-धारा (3) का उपरोक्त खंड (p) लागू नहीं होगा या [अधिसूचना दिनांक 5 जून 2015]।

(q) ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं [देखें **]।

हालाँकि, इस उप-धारा में निर्दिष्ट प्रकटीकरण को वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है तो ऐसे प्रकटीकरण को बोर्ड की रिपोर्ट में दोहराने के बजाय संदर्भित किया जाएगा।

हालाँकि, आगे कि जहाँ क्लॉज (e) या क्लॉज (o) में निर्दिष्ट पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है यदि पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं और उसमें कोई बदलाव बोर्ड की रिपोर्ट में संक्षेप में निर्दिष्ट किया गया है तो ऐसे क्लॉज के तहत आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन होगा और उसमें वेब-पता दिया जाता जिस पर पूरा विवरण उपलब्ध होती है।

***कंपनी (लेखा) नियम, 2014* के नियम 8 के अनुसार, बोर्ड की रिपोर्ट में यह भी शामिल होगा-

(i) वित्तीय सारांश या हाइलाइट्स

(ii) व्यवसाय की प्रकृति में किए गए परिवर्तन,

(iii) वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए या इस्तीफा देने वाले निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का ब्यौरा

(iiia) वर्ष के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों की सत्यनिष्ठता, विशेषज्ञता और अनुभव (दक्षता सहित) के संबंध में बोर्ड की राय के संबंध में एक बयान।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों में अभिव्यक्ति "दक्षता" का अर्थ है स्वतंत्र निदेशक की प्रवीणता जैसा कि धारा 150 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित संस्थान द्वारा

© The Institute of Chartered Accountants of India

आयोजित ऑनलाइन विवरण को स्व-मूल्यांकन जाँच से पता लगाया गया है। (स्वतंत्र निदेशकों का चयन और स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक का रखरखाव)।

(iv) उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान इसकी सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियाँ बन गई हैं या समाप्त हो गई हैं;

(v) जमाराशियों से संबंधित विवरण जैसे-

(a) वर्ष के दौरान स्वीकार किया गया हो।

(b) वर्ष के अंत तक भुगतान न किया गया या दावा न किया गया हो।

(c) क्या वर्ष के दौरान जमाराशियों के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक हुई है और यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या और शामिल कुल राशि-

(1) वर्ष की शुरुआत में

(2) वर्ष के दौरान अधिकतम

(3) वर्ष के अंत में

(vi) जमाराशियों का ब्यौरा जो अधिनियम के अध्याय V (कंपनियों द्वारा जमा की स्वीकृति) की आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं है।

(vii) नियामकों, अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेशों का ब्यौरा क्या है जो भविष्य में कंपनी की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करेंगे।

(viii) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में विवरण।

(ix) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के रूप में प्रकटीकरण कंपनी द्वारा आवश्यक है और इसीलिए ऐसे खाते और रिकॉर्ड बनाए गए हैं

(x) एक बयान कि कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(xi) वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत किए गए आवेदन या लंबित किसी कार्यवाही का विवरण और वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति क्या है?

© The Institute of Chartered Accountants of India

(xii) एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच के अंतर का विवरण सहित उसके कारण क्या हैं?

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 का लागू न होना: यह नियम एक व्यक्ति कंपनी या छोटी कंपनी पर लागू नहीं होगा।

(3) संक्षिप्त बोर्ड की रिपोर्ट [धारा 134(3A)]: केंद्र सरकार एक व्यक्ति कंपनी या छोटी कंपनी द्वारा इस खंड के अनुपालन के उद्देश्य के लिए एक संक्षिप्त बोर्ड रिपोर्ट लिख सकती है।

(4) ओपीसी के मामले में बोर्ड की रिपोर्ट [धारा 134(4)]: एक व्यक्ति कंपनी के मामले में इस खंड के तहत वित्तीय विवरण से जुड़ी निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर एक स्पष्टीकरण रिपोर्ट होगी या प्रत्येक योग्यता आरक्षण या प्रतिकूल समीक्षा या लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गयी अस्वीकृति बोर्ड द्वारा दी गयी टिप्पणी।

(iii) निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण [धारा 134(5)]: 134(3)(c) में संदर्भित निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण यह बताएगा कि-

(1) वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और साथ ही सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था।

(2) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों को चयन करके लागू किया था तथा इस निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के उस समय मे कंपनी के लाभ और हानि मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष रूप दिया जा सके।

(3) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के पर्याप्त देखभाल और उचित रखरखाव की व्यवस्था की गयी थी।

(4) निदेशकों ने वार्षिक खातों को एक चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया था; तथा

(5) निदेशकों ने एक सूचीबद्ध कंपनी के मामले में कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

यहाँ, "आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" शब्द का अर्थ कंपनी द्वारा अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी

© The Institute of Chartered Accountants of India

और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना शामिल है। और समय पर लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता, पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की तैयारी।

(6) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

(iv) बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर [धारा 134(6)]:

उप-धारा (3) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट और उसके किसी भी अनुलग्नक पर कंपनी के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे यदि वह बोर्ड द्वारा अधिकृत है और यदि वह अधिकृत नहीं है तो वहाँ कम से कम दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा या निदेशक होगा।

(v) उलंघन [धारा 134(8)]:

यदि कोई कंपनी इस धारा के प्रावधानों का पालन करने में चूक करती है तो कंपनी तीन लाख रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो डिफ़ॉल्ट रूप से पचास हजार रुपये के दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

उत्तरदायी व्यक्ति	धारा के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए सजा
कंपनी	***3 लाख रूपये***
कंपनी का हर डिफ़ाल्टर अधिकारी	***50,000 रुपये***

उदाहरण 4: एबीसी कंपनी एक व्यक्ति कंपनी है और इसमें केवल एक निदेशक है। तुलन पत्र और लाभ और हानि के विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट को कौन प्रमाणित करेगा?

उत्तर: एक व्यक्ति कंपनी के मामले में वित्तीय विवरणों पर केवल एक निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ताकि उनकी रिपोर्ट के लिए लेखापरीक्षक को प्रस्तुत किया जा सके, तो एक निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित वित्तीय विवरणों को क्रम में माना जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

10. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व [धारा 135][2]

कंपनी अधिनियम, 2013 उन प्रावधानों को निर्धारित करता है जिनके लिए कॉरपोरेट्स को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में सामाजिक उत्थान के कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों पर अपने लाभ का एक निर्धारित प्रतिशत अनिवार्य रूप से खर्च करने की आवश्यकता होती है। मोटे तौर पर, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) का तात्पर्य एक अवधारणा से है जिसके तहत कंपनियाँ एक बेहतर समाज और एक स्वच्छ वातावरण में योगदान करने का निर्णय लेती हैं - सामान्य रूप में एक अवधारणा जिसके तहत कंपनियाँ अपने हितधारकों और समाज की बेहतरी के लिए अपने व्यवसाय संचालन में सामाजिक और अन्य उपयोगी विचारधाराओं को एकीकृत करती हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधानों को धारा 135 और कंपनी (सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के तहत निहित किया गया है।

परिभाषा

1. "कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर)" का अर्थ है किसी कंपनी द्वारा धारामें निर्धारित वैधानिक दायित्व के अनुसरण में की जाने वाली गतिविधियाँ

इन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 135 है लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात्: -

(i) कंपनी के सामान्य कारोबार के अनुसरण में की जाने वाली गतिविधियां:

हालाँकि, यदि कोई भी कंपनी अपने सामान्य व्यवसाय में नए टीके, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के अनुसंधान और विकास गतिविधि में लगी हो तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कोविड-19 से संबंधित नए टीके, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की अनुसंधान और विकास गतिविधि 2021-22, 2022-23 शर्तों के अधीन कर सकती है।

(a) इस तरह के अनुसंधान और विकास गतिविधियों को अधिनियम की अनुसूची VII की मद (ix) में उल्लिखित किसी भी संस्थान या संगठन के सहयोग से किया जाएगा।

(b) बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी गतिविधि का विवरण अलग से प्रकट किया जाएगा;

---

[2] निर्दिष्ट आईएफएससी सार्वजनिक और निजी कंपनी के मामले में धारा 135 एक निर्दिष्ट आईएफएससी सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी के कारोबार के शुरू होने से 5 साल की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) राष्ट्रीय स्तर पर या भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खेल कर्मियों के प्रशिक्षण को छोड़कर भारत के बाहर कंपनी द्वारा की गई कोई भी गतिविधि;

(iii) अधिनियम की धारा 182 के तहत किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का योगदान;

(iv) वेतन संहिता, 2019 की धारा 2 के खंड (k) में परिभाषित कंपनी के कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाली गतिविधियाँ;

(v) अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए विपणन लाभ प्राप्त करने वाले प्रायोजन के आधार पर कंपनियों द्वारा समर्थित गतिविधियाँ;

(vi) भारत में लागू किसी कानून के तहत किन्हीं अन्य वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए की गई गतिविधियां; [नियम 2(d)]

2. "सीएसआर समिति" का अर्थ है अधिनियम की धारा 135 में संदर्भित बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति; [नियम 2(e)]

3. "सीएसआर नीति" का अर्थ एक कंपनी के बोर्ड द्वारा दिए गए दृष्टिकोण और दिशा से युक्त एक बयान है, जिसमें इसकी सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है, और इसमें गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ-साथ निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं। वार्षिक कार्य योजना [नियम 2(f)]

4. "प्रशासनिक ओवरहेड्स" का अर्थ कंपनी में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों के 'सामान्य प्रबंधन और प्रशासन' के लिए कंपनी द्वारा किए गए खर्च से है, लेकिन इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना या कार्यक्रम में किसी विशेष कॉर्पोरेट के डिजाइन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए सीधे किए गए खर्च शामिल नहीं होंगे।; [नियम 2(b)]

5. "अंतर्राष्ट्रीय संगठन" का अर्थ संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में अधिसूचित एक संगठन है जिस पर उक्त अधिनियम की अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं; [नियम 2(g)]

6. "शुद्ध लाभ" का अर्थ अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए अपने वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी का शुद्ध लाभ है लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात्: -

(i) कंपनी की किसी विदेशी शाखा या शाखाओं से उत्पन्न कोई लाभ चाहे वह एक अलग कंपनी के रूप में संचालित हो या अन्यथा तथा

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) भारत में अन्य कंपनियों से प्राप्त कोई लाभांश जो अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के तहत कवर और अनुपालन करता है

हालाँकि, बशर्ते कि इन नियमों के तहत आने वाली विदेशी कंपनी के मामले में शुद्ध लाभ का मतलब धारा 381 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि खाते के अनुसार ऐसी कंपनी का शुद्ध लाभ है, जिसे अधिनियम की धारा 198 [नियम 2(h)] के साथ पढ़ा जाता है।

7. "चल रही परियोजना" का अर्थ एक कंपनी द्वारा अपने सीएसआर दायित्व को पूरा करने के लिए शुरू की गई एक बहु-वर्षीय परियोजना है जिसमें वित्तीय वर्ष को छोड़कर तीन साल से अधिक की समय सीमा नहीं है और इसमें ऐसी परियोजना शामिल होगी जिसे शुरू में अनुमोदित नहीं किया गया था। बहु-वर्षीय परियोजना लेकिन जिसकी अवधि को उचित औचित्य के आधार पर बोर्ड द्वारा एक वर्ष से अधिक बढ़ा दिया गया है [नियम 2(i)]

8. "लोक प्राधिकरण" का अर्थ है 'लोक प्राधिकरण' जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (h) में परिभाषित है; [नियम 2 (j)]

सीएसआर समिति को गठित करने के लिए आवश्यक कंपनियाँ

धारा 135(1) के अनुसार प्रत्येक कंपनी जिसका शुद्ध मूल्य पाँच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है या एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार है या तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पाँच करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ है तो वह एक कॉर्पोरेट का गठन करेगी। बोर्ड की सामाजिक उत्तरदायित्व समिति जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे जिनमें से कम से कम एक निदेशक एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

हालाँकि, जब किसी कंपनी को धारा 149 की उप-धारा (4) के तहत एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है तो उसकी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में दो या अधिक निदेशक होंगे।

नियम 3(1) के अनुसार प्रत्येक कंपनी जिसमें उसकी होल्डिंग या सहायक कंपनी शामिल है और एक विदेशी कंपनी जिसे अधिनियम की धारा 2 के खंड (42) के तहत परिभाषित किया गया है जिसकी शाखा कार्यालय या परियोजना कार्यालय भारत में है तथा जो निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है- अधिनियम की धारा 135 की धारा (1) अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों और इन नियमों का पालन करेगी:

हालाँकि, निवल मूल्य कारोबार या शुद्ध लाभ अधिनियम की एक विदेशी कंपनी की गणना धारा 381 की उप-धारा (1) और अधिनियम की धारा 198 के खंड (a) के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई कंपनी के तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते के अनुसार की जाएगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

"निवल लाभ" [धारा 2 (57) के अनुसार] का अर्थ है चुकता शेयर पूंजी का कुल मूल्य और लाभ, प्रतिभूति प्रीमियम खाते और लाभ और हानि खाते के डेबिट या क्रेडिट बैलेंस से कटौती के बाद बनाए गए सभी भंडार लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार संचित हानियों आस्थगित व्यय और विविध व्ययों का कुल मूल्य बट्टे खाते में नहीं डाला गया है लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से सृजित भंडार मूल्यह्रास और समामेलन का राइट-बैक शामिल नहीं है।[3]

उदाहरण 5: कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(57) के प्रावधान के अनुसार गणना की गई 30 सितंबर 2020 को प्रबंधन की आवश्यकता के अनुसार कंपनी के निवल मूल्य पर एक प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक था।

कंपनी ने चालू वर्ष में अपनी संपत्ति संयंत्र और उपकरणों का उचित मूल्यांकन किया था जिसे गलती से कंपनी की अपनी बहीखातों में रखी गई कमाई में ले लिया गया था। कृपया सलाह दें कि क्या यह उचित मूल्यांकन कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी के निवल मूल्य में शामिल किया जाएगा।

उत्तर: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(57) के अनुसार संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन से बनाया गया कोई भी भंडार निवल मूल्य का हिस्सा नहीं बनता है। कंपनी अपनी संपत्ति में संयंत्र और उपकरणों का मूल्यांकन करती है और यही कंपनी की मूल आय होती है।

भले ही कंपनी ने अपने खातों की किताबों में रखी कमाई के लिए उचित मूल्यांकन किया हो पर रिजर्व में परिणामी क्रेडिट (जिस भी नाम से जाना जाता है) 'संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन से बनाए गए भंडार' की श्रेणी में होगा जिसे विशेष रूप से बाहर रखा गया है धारा 2 (57) में 'नेट वर्थ' की परिभाषा के अनुसार कंपनी द्वारा इसे बाहर रखा जाना चाहिए।

इसके अलावा, लेखापरीक्षकों को कंपनी की लेखा पुस्तकों के लेखा-परीक्षा के समय इस आरक्षित निधि के लेखांकन से संबंधित मामले पर भी अलग से विचार करना चाहिए।

उदाहरण 6: एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसका पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 1000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ है और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से एक वित्तीय वर्ष में नुकसान हुआ है। क्या सीएसआर का अनुपालन करना आवश्यक होगा?

उत्तर: अधिनियम की धारा 135(1) के अनुसार यदि तीन मानदंडों में से कोई एक (चाहे निवल मूल्य, या टर्नओवर या शुद्ध लाभ) संतुष्ट हो जाता है तो कंपनी को अनिवार्य रूप से सीएसआर प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। इसलिए, एबीसी लिमिटेड को अपने टर्नओवर के आधार पर सीएसआर का अनुपालन करना होगा। केवल यह तथ्य कि कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से एक में नुकसान हुआ है इस आधार पर कंपनियों के लिए सीएसआर की प्रयोज्यता का निर्धारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

<u>कंपनियों का बहिष्करण</u> [कंपनी (सीएसआर) नियम, 2014 के नियम 3(2)]

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रत्येक कंपनी जो लगातार तीन वित्तीय वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (1) के तहत कवर की गई कंपनी की आवश्यकता नहीं होगी-

(a) एक सीएसआर समिति का गठन; तथा

(b) उक्त धारा के उप-धारा (2) से (6) में निहित प्रावधानों का पालन करें,

जब तक यह धारा 135 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

सीएसआर समिति की संरचना

बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में तीन या अधिक निदेशक होंगे जिनमें से कम से कम एक निदेशक एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

हालाँकि, कि जहाँ किसी कंपनी को धारा 149 की उप-धारा (4) के तहत एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में दो या अधिक निदेशक होंगे।

कंपनी (सीएसआर) नियम, 2014 के नियम 5(1) के अनुसार:

नियम 3 में उल्लिखित कंपनियाँ निम्नानुसार सीएसआर समिति का गठन करेंगी।

(i) धारा 135 की उप-धारा (1) के तहत आने वाली कंपनी जिसे अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (4) के अनुसार एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है उसकी सीएसआर समिति ऐसे निदेशक के बिना होगी;

(ii) एक निजी कंपनी जिसके बोर्ड में केवल दो निदेशक हैं ऐसे दो निदेशकों के साथ अपनी सीएसआर समिति का गठन करेगी।

(iii) इन नियमों के तहत आने वाली विदेशी कंपनी के संबंध में सीएसआर समिति में कम से कम दो व्यक्ति शामिल होंगे जिनमें से एक व्यक्ति अधिनियम की धारा 380 की उप-धारा (1) के खंड (d) के तहत निर्दिष्ट होगा और एक अन्य व्यक्ति को विदेशी कंपनी द्वारा नामित किया जाएगा।

सीएसआर समिति का संयोजन

धारा 135(2) के अनुसार धारा 134 की उप-धारा (3) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना का खुलासा करेगी।

सीएसआर समिति के कर्तव्य

धारा 135(3) के अनुसार,

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति,-

© The Institute of Chartered Accountants of India

(a) बोर्ड को एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करना और सिफारिश करना, जो अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषय में कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगा;

(b) खंड (a) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करें; तथा

(c) समय-समय पर कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करें।

कंपनी (सीएसआर) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार सीएसआर समिति अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और बोर्ड को सिफारिश करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्: -

(a) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की सूची जिन्हें अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में शुरू करने के लिए अनुमोदित किया गया है

(b) नियम 4 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका

(c) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निधियों के उपयोग के तौर-तरीके और कार्यान्वयन कार्यक्रम

(d) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र; तथा

(e) कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन, यदि कोई हो तो उसका का विवरण:

हालाँकि, बोर्ड वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के अनुसार उस प्रभाव के उचित औचित्य के आधार पर ऐसी योजना को बदल सकता है।

सीएसआर के संबंध मे बोर्ड के कर्तव्य

135(4) के अनुसार उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी का बोर्ड,-

(a) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कंपनीयों के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी को मंजूरी देना और अपनी रिपोर्ट में ऐसी पॉलिसी की सामग्री का खुलासा करें तथा यदि कोई हो इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी रखें; तथा

(b) सुनिश्चित करें कि कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में शामिल गतिविधियां कंपनी द्वारा की जाती हैं।

अपनी वेबसाइट पर सीएसआर गतिविधियों का प्रदर्शन - कंपनी का निदेशक मंडल अनिवार्य रूप से सीएसआर समिति की संरचना, और सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को सार्वजनिक उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट, यदि कोई हो, पर प्रकट करेगा। [कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 9]

© The Institute of Chartered Accountants of India

सीएसआर के लिए योगदान की राशि

धारा 135(5) के अनुसार,

उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन गत वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करेगी या जहाँ कंपनी ने अपने निगमन के बाद से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि पूरी नहीं की है ऐसे तत्काल गत वित्तीय वर्षों के दौरान अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण करेगी:

हालाँकि, कि कंपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि को खर्च करने के लिए स्थानीय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को वरीयता देगी:

हालाँकि, यदि कंपनी ऐसी राशि खर्च करने में विफल रहती है तो बोर्ड धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (o) के तहत बनाई गई अपनी रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारणों को निर्दिष्ट करेगा और जब तक कि खर्च न की गई राशि उप-धारा (6) में संदर्भित किसी भी चल रही परियोजना से संबंधित है ऐसी अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित करें।

हालाँकि, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है यदि कंपनी इस उप-धारा के तहत प्रदान की गई आवश्यकताओं से अधिक राशि खर्च करती है तो ऐसी कंपनी इस उप-धारा के तहत खर्च करने की आवश्यकता के मुकाबले इतनी अधिक राशि को सफल वित्तीय वर्षों की संख्या के लिए इसे सेट कर सकती है।

स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "शुद्ध लाभ" में जो निर्धारित की जा सकती है ऐसी रकम शामिल नहीं होगी और इसे धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार गणना की जाएगी।

धारा 135(6) के अनुसार उप-धारा (5) के तहत अव्ययित कोई भी राशि किसी भी चल रही परियोजना के अनुसार ऐसी निर्धारीत की गयी शर्तो को शर्तों को पूरा करना एक कंपनी द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति के अनुसरण में हस्तांतरित किया जाएगा। कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों की अवधि के भीतर कंपनी के उस वित्तीय वर्ष के लिए खोले जाने वाले एक विशेष खातो को उस उस वित्तीय वर्ष का अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता कहा जाएगा और ऐसी राशि को कंपनी द्वारा इस तरह के हस्तांतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के प्रति अपने दायित्व के अनुसरण में खर्च किया जाएगा जिसमें विफल होने पर कंपनी इसे अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर स्थानांतरित कर देगी।

'शुद्ध लाभ की गाणना करना'

© The Institute of Chartered Accountants of India

1. इस खंड के प्रयोजनों के लिए (अर्थात धारा 135) "शुद्ध लाभ" में निर्धारित की गयी राशि शामिल नहीं होगी और धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार गणना की जाएगी। [धारा 135(5) का स्पष्टीकरण]

2. "शुद्ध लाभ" का अर्थ अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी का शुद्ध लाभ है लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे अर्थात्: -

(i) कंपनी की किसी विदेशी शाखा या शाखाओं से उत्पन्न कोई लाभ चाहे वह एक अलग कंपनी के रूप में संचालित हो या अन्यथा; तथा

(ii) भारत में अन्य कंपनियों से प्राप्त कोई लाभांश जो अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के तहत कवर और अनुपालन करता है:

हालाँकि, इन नियमों के तहत आने वाली विदेशी कंपनी के मामले में, शुद्ध लाभ का मतलब धारा 381 की उप-धारा (1) के खंड (a) के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि खाते के अनुसार ऐसी कंपनी का शुद्ध लाभ है, जिसे अधिनियम की धारा 198; [नियम 2 (एच)] के साथ पढ़ा जाता है।

सीएसआर का व्यय [कंपनियों के नियम 7 (सीएसआर) नियम, 2014]

(1) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय वर्ष के लिए प्रशासनिक उपरिव्यय कंपनी के कुल सीएसआर व्यय के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(2) सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा और उसी परियोजना में वापस गिरवी रख दिया जाएगा या अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा तथा इसे सीएसआर नीति और वार्षिक कार्रवाई के अनुसरण में खर्च किया जाएगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी की योजना या ऐसी अधिशेष राशि को अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(3) जब कोई कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत प्रदान की गई आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है तो ऐसी अतिरिक्त राशि को धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत खर्च करने की आवश्यकता के खिलाफ तीन वित्तीय वर्षों के बाद की शर्तों के अधीन तत्काल समायोजित किया जा सकता है। कि -

(i) समायोजन के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राशि में यदि कोई हो तो इस नियम के उप-नियम (2) के अनुसरण में सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष शामिल नहीं होगा।

(ii) कंपनी का बोर्ड इस तरह का एक प्रस्ताव पारित करेगा।

(4) सीएसआर राशि एक कंपनी द्वारा पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की जा सकती है जिसके पास -

© The Institute of Chartered Accountants of India

(a) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी या एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए एक पंजीकृत सोसायटी हो तथा इसके नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत सीएसआर का पंजीकरण संख्या; या

(b) स्वयं सहायता समूहों तथा सामूहिक संस्थाओं के रूप में उक्त सीएसआर परियोजना के लाभार्थी; या

(c) एक सार्वजनिक प्राधिकरण:

हालाँकि, कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी) संशोधन नियम 2021 के शुरू होने से पहले किसी कंपनी द्वारा बनाई गई कोई भी पूंजीगत संपत्ति प्रारंभ से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर इस नियम की आवश्यकता का अनुपालन करेगी तथा उचित औचित्य के आधार पर बोर्ड के अनुमोदन से अधिकतम नब्बे दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

अव्ययित सीएसआर राशि का हस्तांतरण [कंपनियों के नियम 10 (सीएसआर नीति) नियम, 2014]

जब तक अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) और (6) के प्रयोजनों के लिए अनुसूची VII में एक फंड निर्दिष्ट नहीं किया जाता है तब तक यदि कोई अव्ययित सीएसआर राशि हो तो उसे कंपनी द्वारा अनुसूची VII में शामिल किसी भी फंड में स्थानांतरित की जाएगी।

दंड प्रावधान

यदि कंपनी उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती है, तो कंपनी निर्दिष्ट निधि में दोगुनी राशि स्थानांतरित करने के लिए दंड की उत्तरदायी होगी। तथा अनुसूची VII या अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मामले के अनुसार खाता या एक करोड़ रुपये में जो भी कम हो तथा यदि कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जिसने भी नियम का पालन नहीं किया है वह निर्दिष्ट राशि के दसवें हिस्से के लिए दंड का उत्तरदायी होगा। तथा कंपनी द्वारा अनुसूची VII में निर्दिष्ट सामाजिक उत्तरदायित्व खाते के ऐसे फंड या अव्ययित कॉर्पोरेट के फंड से यदि दो लाख रुपये या दोनों मे से जो भी कम हो उसे दंड के रूप में कंपनियो को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। [धारा 135 (7)]।

केंद्र सरकार के विशेष निर्देश

केंद्र सरकार किसी कंपनी या कंपनियों के वर्ग को ऐसे सामान्य या विशेष निर्देश दे सकती है जो वह इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो तथा ऐसी कंपनी या कंपनियों का वर्ग ऐसे निर्देशों का पालन करेगा। [धारा 135 (8)]

जब सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक नहीं हो

धारा 135(9) के अनुसार के उप-धारा (5) के तहत एक कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन उप-धारा (1) के

© The Institute of Chartered Accountants of India

तहत आवश्यकता नहीं होगी और इस धारा के तहत प्रदान की गई ऐसी समिति के कार्यों या मामलों में इसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्वहन किया जाएगा।

सीएसआर का कार्यान्वन [कंपनी के नियम 4 (सीएसआर नीति) नियम, 2014]:

(1) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर गतिविधियाँ कंपनी द्वारा स्वयं या के माध्यम से तय की जाती हैं-

(a) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कोई कंपनी या पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी जो कंपनी द्वारा स्थापित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए और 80 जी के तहत पंजीकृत कंपनी या

(b) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी या एक पंजीकृत ट्रस्ट या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक पंजीकृत सोसायटी; या

(c) संसद या राज्य विधायिका के अधिनियम के तहत स्थापित कोई इकाई; या

(d) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी या एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए और 80जी के तहत पंजीकृत है और जिसका उपक्रम में कम से कम तीन साल का एक स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड है।

(2) (a) उप-नियम (1) के तहत कवर की गई प्रत्येक इकाई जो किसी भी सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत आती है 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी रूप से रजिस्ट्रार के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म सीएसआर-1 दाखिल करके केंद्र सरकार के साथ खुद को पंजीकृत करेगी।:

> *हालाँकि, इस उप-नियम के अनुमोदित प्रावधान 1अप्रैल 2021 से पहले सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों को प्रभावित नहीं करेंगे।*

(b) फॉर्म सीएसआर -1 को इकाई द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित और जमा किया जाएगा तथा एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिव या अभ्यास में एक लागत लेखाकार द्वारा डिजिटल रूप से सत्यापित किया जाएगा।

(c) पोर्टल पर फॉर्म सीएसआर -1 जमा करने पर सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से एक अद्वितीय सीएसआर पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी।

(3) एक कंपनी अपनी सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के डिजाइन, निगरानी और मूल्यांकन के साथ-साथ सीएसआर के लिए अपने स्वयं के कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों को शामिल कर सकती है।

(4) एक कंपनी परियोजनाओं, कार्यक्रमों या सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ भी इस तरह से सहयोग कर सकती है तथा संबंधित कंपनियों की सीएसआर

© The Institute of Chartered Accountants of India

समितियां इन नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में होती हैं।

(5) कंपनी का बोर्ड खुद को संतुष्ट करेगा कि इस प्रकार वितरित की गई धनराशि का उपयोग उद्देश्यों के लिए और उसके द्वारा अनुमोदित तरीके से किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रभाव को प्रमाणित करेगा।

(6) चल रही परियोजना के मामले में कंपनी का बोर्ड अनुमोदित समय-सीमा और वर्ष-वार आवंटन के संदर्भ में परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए यदि कोई संशोधन हो तो उसे संसोधित करने के लिए सक्षम होगा।

सीएसआर रिपोर्टिंग (नियम 8):

(1) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित इन नियमों के तहत शामिल कंपनी की बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल होगी जिसमें अनुबंध I या II में निर्दिष्ट विवरण लागू होगा।

(2) एक विदेशी कंपनी के मामले में अधिनियम की धारा 381 की उप-धारा (1) के खंड (b) के तहत दायर तुलन पत्र में सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल होगी जिसमें अनुबंध I या II में निर्दिष्ट विवरण होंगे।

(3) (a) अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार दस करोड़ रुपये या उससे अधिक की औसत सीएसआर वाली प्रत्येक कंपनी तीन गत वित्तीय वर्षों में एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन करेगी जो एक करोड़ रुपये या अधिक के परिव्यय वाली उनकी सीएसआर प्रभाव को परियोजनाओं को शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी की गई हैं।

(b) प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट को बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा और सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।

(c) प्रभाव मूल्यांकन करने वाली कंपनी उस वित्तीय वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए व्यय बुक कर सकती है जो उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर व्यय के पाँच प्रतिशत या पचास लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट गतिविधियां

गतिविधियां, जो कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीतियों में शामिल की जा सकती हैं (अर्थात अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट गतिविधियाँ) इस प्रकार हैं:

(1) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है;

© The Institute of Chartered Accountants of India

(2) विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने सहित शिक्षा को बढ़ावा देना विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाओं के बीच व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना;

(3) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय करना।

(4) पर्यावरण की स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना सुनिश्चित करना, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी के कायाकल्प के लिए स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान देना शामिल है।

(5) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण जिसमें इमारतों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और कला के कार्यों की बहाली शामिल है सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास करना।

(6) सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों (सीपीएमएफ) के पूर्व सैनिकों और विधवाओं सहित उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय करना।

(7) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालम्पिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(8) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में योगदान देना केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास और जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं कोष अनुसूचित जातियों के राहत और कल्याण के लिए स्थापित कोई अन्य कोष अनुदान देना;

(9) (a) केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा वित्त पोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान विकास परियोजनाओं में योगदान देना और

(b) सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE), के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ और स्वायत्त निकाय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), फार्मास्यूटिकल्स विभाग, आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य

© The Institute of Chartered Accountants of India

निकाय, अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO);भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योगदान देना जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करने में लगी हुई है;

(10) ग्रामीण विकास परियोजनाएं

(11) स्लम क्षेत्र का विकास [इस मद के प्रयोजनों के लिए 'स्लम क्षेत्र' शब्द का अर्थ केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस समय लागू किसी भी कानून के तहत घोषित किया गया कोई भी क्षेत्र होगा]।

(12) आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की गतिविधियां।

स्पष्टीकरण

एमसीए ने सामान्य *परिपत्र संख्या 21/2014 दिनांक 18 जून 2014* के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधानों के संबंध में कई स्पष्टीकरण प्रदान किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

(i) सीएसआर नियम, 2014 के वैधानिक प्रावधान और प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सीएसआर नीति के अनुसरण में की जाने वाली गतिविधियां कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII से संबंधित होनी चाहिए उक्त अनुसूची VII में प्रविष्टियों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। ताकि उक्त अनुसूची में वर्णित विषयों के उद्देश्य को अपनाया जा सके। अधिनियम की संशोधित अनुसूची VII में सूचीबद्ध का एक व्यापक आधार हैं और अनुबंध में उदाहरण के रूप में उल्लिखित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने के लिए अभिप्रेत हैं।

(ii) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कंपनियों द्वारा परियोजना/कार्यक्रम मोड में सीएसआर की गतिविधियों को अपनाया जाना चाहिए। मैराथन/पुरस्कार/धर्मार्थ योगदान/विज्ञापन/टीवी कार्यक्रमों के प्रायोजन आदि जैसे एकमुश्त आयोजन सीएसआर व्यय के भाग के रूप में योग्य नहीं होंगे।

(iii) कंपनियों द्वारा किसी अधिनियम/विनियमों के क़ानून (जैसे श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि) की पूर्ति के लिए किए गए व्यय को कंपनी अधिनियम के तहत सीएसआर व्यय के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(v) कंपनी सीएसआर नियम, 2014 के साथ अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (1) के तहत संदर्भित "कोई भी वित्तीय वर्ष" का अर्थ है 'पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से कोई भी'।

(vi) भारत में सीएसआर गतिविधियों के लिए विदेशी होल्डिंग कंपनी द्वारा किया गया व्यय भारतीय सहायक के सीएसआर खर्च के रूप में योग्य होगा यदि सीएसआर व्यय भारतीय सहायक कंपनियों के

© The Institute of Chartered Accountants of India

माध्यम से किया जाता है और यदि भारतीय सहायक को अधिनियम की धारा 135 के अनुसार ऐसा करने की आवश्यकता होती है।

(vii) 'पंजीकृत ट्रस्ट' में उन राज्यों के लिए आयकर अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत ट्रस्ट शामिल होंगे, जहाँ ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।

(viii) ट्रस्ट/सोसायटी/सेक्शन 8 कंपनियों आदि के कॉर्पस में योगदान सीएसआर व्यय के रूप में योग्य होगा जब तक कि (a) ट्रस्ट/सोसाइटी/सेक्शन 8 कंपनियाँ इत्यादि विशेष रूप से सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए बनाई गई हैं या (b) जहाँ कॉर्पस विशेष रूप से अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल किसी विषय से सीधे संबंधित उद्देश्य के लिए बनाया गया है।

कोविड पर सीएसआर के संबंध मे स्पष्टीकरण

1. सामान्य परिपत्र संख्या 10/2020 दिनांक 23 मार्च, 2020

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा महामारी के रूप में इसकी घोषणा और भारत सरकार के निर्णय को इस रूप में मानने का निर्णय लिया गया है। जिस पर एक अधिसूचित आपदा कोविड-19 के लिए सीएसआर फंड के खर्च योग्य सीएसआर गतिविधि है।

निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता और आपदा प्रबंधन सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने से संबंधित अनुसूची VII की मद संख्या (i) और (xii) के तहत कोविड-19 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए धन खर्च किया जा सकता है। इसके अलावा सामान्य परिपत्र संख्या 21/2014 दिनांक 18.06.2014 के अनुसार अनुसूची VII में आइटम व्यापक आधारित हैं और इस उद्देश्य के लिए उदारतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है।

2. सामान्य परिपत्र संख्या 01/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम पर जागरूकता और सार्वजनिक पहुंच के लिए सीएसआर फंड के खर्च पर एक स्पष्टीकरण दिया है।

यह परिपत्र इस मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 10/2020 दिनांक 23.03.2020 के क्रम में है जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि कोविड-19 के लिए सीएसआर निधियों का खर्च एक पात्र सीएसआर गतिविधि है यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि जागरूकता अभियान चलाने के लिए सीएसआर निधियों का खर्च/कार्यक्रम या कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम पर सार्वजनिक आउटरीच अभियान मद संख्या के तहत एक पात्र सीएसआर गतिविधि है। (i), (ii) और (xii) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने से संबंधित है जिसमें क्रमशः निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता शिक्षा को बढ़ावा देना और आपदा प्रबंधन शामिल है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 की पूर्ति और इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सीएसआर से संबंधित परिपत्रों के अधीन उपरोक्त गतिविधियां कर सकती हैं।

3. सामान्य परिपत्र संख्या 05/2021, दिनांक 22 अप्रैल, 2021

अस्थायी अस्पतालों और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना के लिए सीएसआर फंड के खर्च पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

इस मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 10/2020 दिनांक 23.03.2020 के क्रम में जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि कोविड-19 के लिए सीएसआर निधियों का खर्च एक उपयुक्त सीएसआर की गतिविधि है यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि 'अस्थायी अस्पतालों की स्थापना' के लिए सीआरएस निधियों का खर्च और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओ के मद संख्या के तहत उचित सीएसआर कार्यक्रम है। (i) और (xii) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के क्रमश निवारक स्वास्थ्य देखभाल और आपदा प्रबंधन सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने से संबंधित है।

11. वित्तीय लेखा-परीक्षित विवरणों की प्रतियों के लिए सदस्यो का अधिकार [धारा-136]

धारा 136 में यह प्रावधान है कि यदि कोई समेकित वित्तीय विवरण, सहित वित्तीय विवरणों की एक प्रति, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न या संलग्न करने के लिए कानून द्वारा आवश्यक अन्य दस्तावेज जिसे कंपनी की आम बैठक में कंपनी के समक्ष रखा जाना है कंपनी के प्रत्येक सदस्य को कंपनी द्वारा जारी किए गए किसी भी डिबेंचर के डिबेंचर-धारक के लिए प्रत्येक ट्रस्टी या ऐसे सदस्य के अलावा अन्य सभी हकदार व्यक्तियों को बैठक की तिथि से इक्कीस दिन पहले भेजा जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

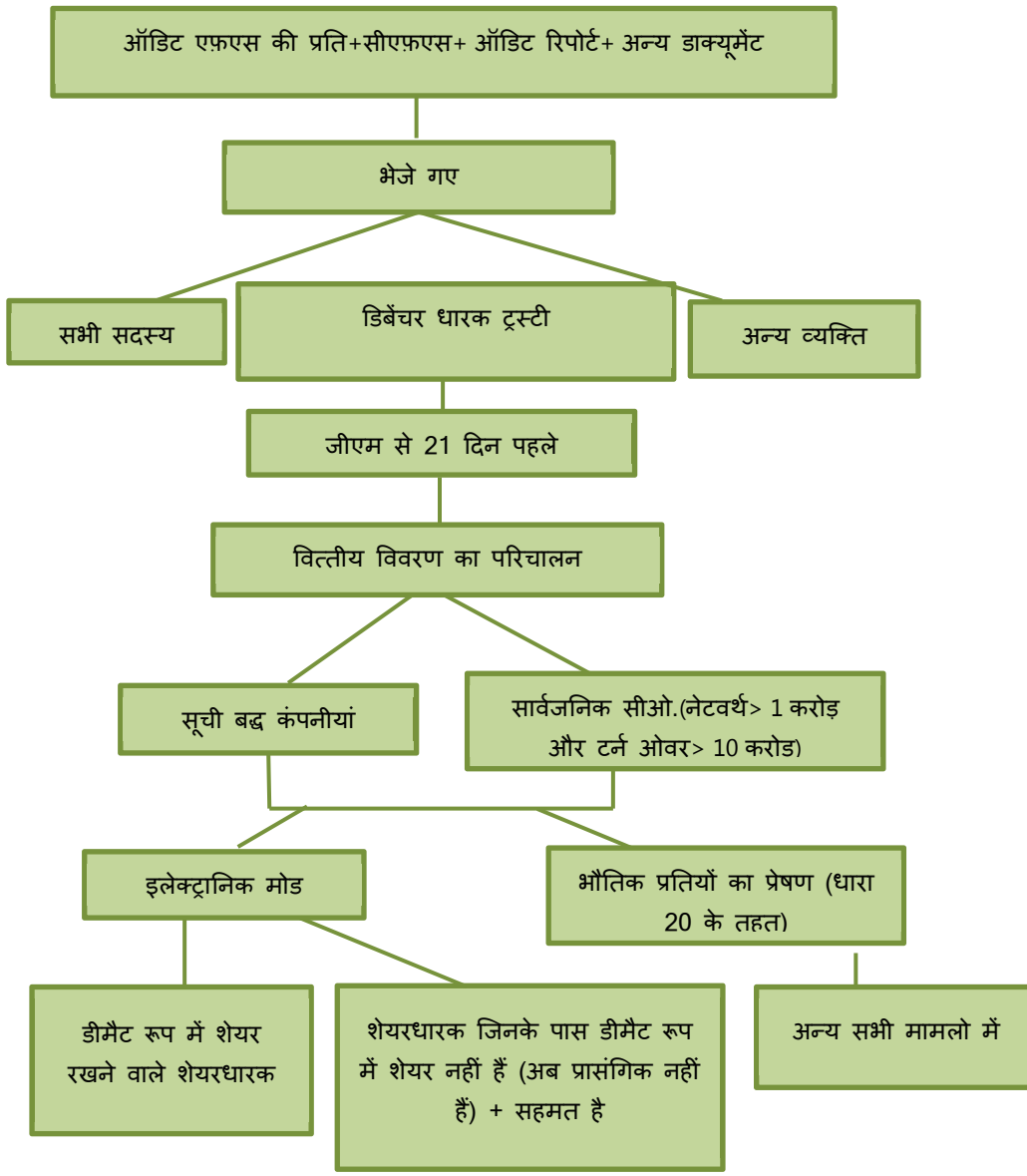

(i) क्या होगा यदि दस्तावेज बैठक की तारीख से 21 दिन से कम समय पहले भेजे जाते हैं?

धारा 136 के अनुसार, यदि दस्तावेजों की प्रतियां बैठक की तारीख से इक्कीस दिन पहले नहीं भेजी जाती हैं तो इस तथ्य के बावजूद सदस्यों द्वारा इस तरह सहमति होने पर उन्हें विधिवत भेजा गया माना जाएगा-

© The Institute of Chartered Accountants of India

(a) अगर कंपनी के पास होल्डिंग शेयर पूंजी है और जो कम से कम नब्बे प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बहुमत वोट के हकदार है कंपनी की चुकता शेयर पूंजी जिसके हिस्से में है उसे बैठक में वोट देने का अधिकार देता है; या

(b) यदि कंपनी के पास कोई शेयर पूंजी नहीं है तो बैठक में प्रयोग की जाने वाली कुल मतदान शक्ति का कम से कम पंचानवे परशित होना चाहिए।

यदि दस्तावेजों की प्रतियां निरीक्षण के लिए उसके पंजीकृत कार्यालय में काम के घंटों के दौरान बीस-बीस की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं तो एक सूचीबद्ध कंपनी के मामले में इस उप-धारा के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा। बैठक की तारीख से एक दिन पहले और कंपनी के प्रत्येक सदस्य और धारकों के लिए प्रत्येक ट्रस्टी को निर्धारित प्रपत्र या दस्तावेजों की प्रतियों में ऐसे दस्तावेजों की मुख्य विशेषताओं वाले एक बयान को कंपनी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाता है। कंपनी द्वारा जारी किसी भी डिबेंचर की बैठक की तारीख से कम से कम इक्कीस दिन पहले तक शेयरधारक का पूर्ण वित्तीय विवरण नहीं मांगते हैं।

हालाँकि, केंद्र सरकार ऐसी निवल संपत्ति और टर्नओवर वाली कंपनियों के वित्तीय विवरणों के संचलन के तरीके को निर्धारित कर सकती है।

हालाँकि, कि एक सूचीबद्ध कंपनी अपने वित्तीय विवरणों को समेकित वित्तीय विवरण और अन्य सभी दस्तावेजों को भी अपनी वेबसाइट पर रखेगी, जिसे कंपनी द्वारा या उसकी ओर से बनाए जाता है।

सहायक या सहायक कंपनियों वाली प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी-

(a) अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में अलग-अलग लेखा-परीक्षा खाते

(b) कंपनी के किसी भी सदस्य को जो इसके लिए पूछता है अलग-अलग लेखा परीक्षित या अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की एक प्रति जो अपनी प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में तैयार की गई है।

एक सूचीबद्ध कंपनी जिसकी एक सहायक कंपनी भारत के बाहर निगमित है (जिसे यहाँ "विदेशी सहायक" कहा जाता है) -

(a) जब ऐसी विदेशी सहायक कंपनी को अपने निगमन के देश के किसी भी कानून के तहत समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक है इस प्रावधान की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा यदि विदेशी सहायक कंपनीयों का समेकित वित्तीय विवरण सूचीबद्ध कंपनी की वेबसाइट पर रखा गया है।

(b) विदेशी सहायक कंपनी को अपने निगमन के देश के किसी भी कानून के तहत अपने वित्तीय विवरण का लेखा-जोखा करने की आवश्यकता नहीं है और जो इस तरह के वित्तीय विवरण

© The Institute of Chartered Accountants of India

का लेखा-जोखा नहीं करवाती है वहाँ होल्डिंग भारतीय सूचीबद्ध कंपनी अपनी वेबसाइट पर इस तरह के लेखा-परीक्षा वित्तीय विवरण को रख सकती है और जहाँ ऐसा वित्तीय विवरण अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है वहाँ वित्तीय विवरण की अंग्रेजी में अनुवादित प्रति भी वेबसाइट पर रखी जाएगी।

उदाहरण 7: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनियों में से एक भारत के बाहर निगमित एक विदेशी कंपनी है। कंपनी की वार्षिक आम बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट पर समेकित वित्तीय विवरण सहित अपना लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण रखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट पर एक सहायक कंपनी को छोड़कर भारत में स्थित अपनी सभी सहायक कंपनियों के अलग-अलग लेखा-परीक्षा खातों को भी रखा है जो एक विदेशी कंपनी है और भारत से बाहर स्थित है इसके निगमन के कंपनी कानून के आधार पर कि ऐसी विदेशी कंपनी को अपने वित्तीय विवरण का लेखा-परीक्षा कराने की आवश्यकता नहीं है। तब यह आपको जाँचने की आवश्यकता है कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने धारा 136 के प्रावधानों का अनुपालन किया है?

उत्तर: नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने धारा 136 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि धारा 136 के प्रावधानों के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अपनी विदेशी सहायक कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को अपनी वेबसाइट पर रखना भी आवश्यक है भले ही ऐसी विदेशी सहायक कंपनी को अपने वित्तीय विवरण का लेखा-परीक्षा कराने की आवश्यकता न हो।

© The Institute of Chartered Accountants of India

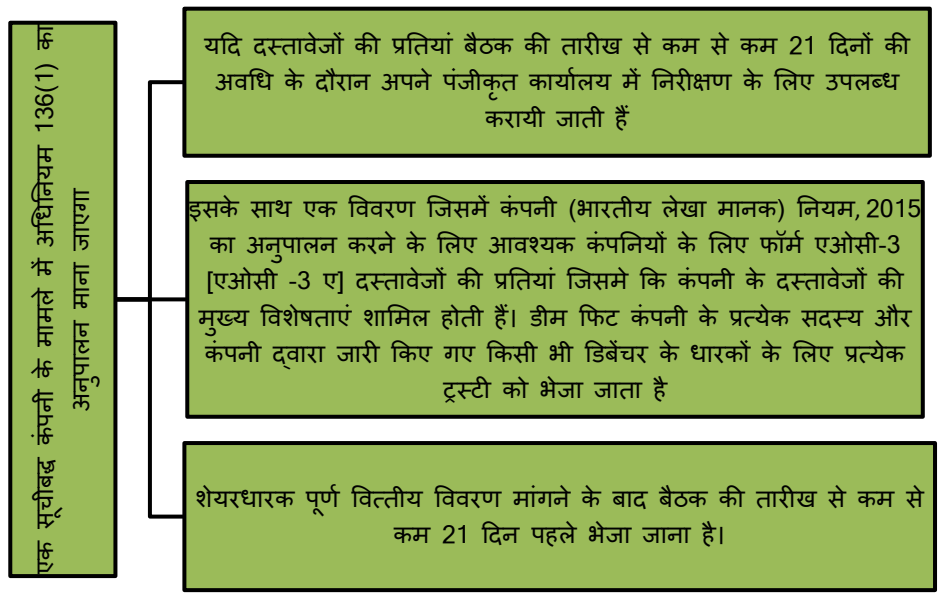

*** **धारा 8 कंपनियों को छूट:** कंपनी के धारा 8 के मामले में - धारा 136 की उप-धारा (1) में "इक्कीस दिन" शब्दों के लिए "चौदह दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

निधि कंपनी के मामले में - संशोधन के अधीन धारा 136 (1) लागू होगी यदि उन सदस्यों के मामले में जो व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से अंकित मूल्य में एक हजार रुपये से अधिक या एक प्रतिशत से अधिक के कुल चुकता शेयर पूंजी नहीं रखते हैं तो इस अनुभाग के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि एक सूचना सार्वजनिक सूचना द्वारा उस जिले में प्रसारित समाचार पत्र में कंपनी के पंजीकृत स्थित कार्यालय भेजी जाती है जिसमे तारीख, एजीएम का समय, स्थान और उसके संलग्नकों के साथ वित्तीय विवरण का निरीक्षण कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किया जाता है और संलग्नक के साथ वित्तीय विवरण कंपनी के नोटिस बोर्ड में चिपकाए जाते हैं और प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने का हकदार होता है।

कंपनी डिबेंचर धारक के प्रत्येक सदस्य या ट्रस्टी को व्यावसायिक घंटों के दौरान अपने पंजीकृत कार्यालय में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के वित्तीय विवरण के निरीक्षण कराने की अनुमति देगी।

(ii) कुछ मामलों में वित्तीय विवरणों के संचलन का तरीका:

(a) सभी सूचीबद्ध और सार्वजनिक कंपनियों के मामले में जिनकी कुल संपत्ति एक करोड़ रुपये से अधिक है तथा दस करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार है, वित्तीय विवरण भेजे जा सकते हैं [*कंपनी (लेखा) नियमों के नियम 11, 2014*]-

© The Institute of Chartered Accountants of India

(1) ऐसे सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जिनकी शेयरधारिता दस्तावेज़ स्वरूप में न हो और जिनकी ईमेल आईडी संचार उद्देश्यों के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं

(2) शेयरधारिता गैर दस्तावेज़ प्रारूप के अलावा अन्य तरीके से रखी जाती है ऐसे सदस्यों के लिए जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त करने के लिए लिखित रूप में सकारात्मक सहमति दी है (यह प्रासंगिक नहीं हो सकता है कि शेयरधारिता अब गैर दस्तावेज़ फॉर्म के अलावा अन्य नहीं है); तथा

(3) अन्य सभी मामलों में अधिनियम की धारा 20 के तहत निर्दिष्ट वितरण के किसी भी मान्यता प्राप्त मोड के माध्यम से भौतिक प्रतियां भेजकर।

(iii) उल्लंघन:

(a) यदि धारा 136 के प्रावधानों के अनुपालन में कोई गलती पायी जाती है तो कंपनी 25,000 रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगी और

(b) कंपनी के प्रत्येक अधिकारी जो गलत पाये जाते हैं 5,000 रुपये के दंड के लिए उत्तरदायी होगें।

सामान्य परिपत्र संख्या 11/2015, दिनांक 21 जुलाई 2015 को एमसीए द्वारा वित्तीय विवरण के परिचालन और दाखिल करने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया था।

यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 101 के तहत प्रदान की गई छोटी नोटिस देने के बाद आम बैठक आयोजित करने वाली कंपनी भी इस तरह के कम नोटिस पर वित्तीय विवरण को (उसी आम बैठक में रखी जाने/विचार करने के लिए) प्रसारित कर सकती है।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि विदेशी कंपनी के मामले में जिसे अपने निगमन के देश में प्रचलित कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने खातों का लेखा-जोखा करने की आवश्यकता नहीं है तथा जो ऐसे खातों का लेखा-परीक्षा नहीं करवाती है होल्डिंग या मूल भारतीय कंपनी रख सकती है या धारा 136(1) और 137(1) जो भी लागू हो की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए ऐसे खातों को लेखा-परीक्षा र फाइल करें। हालाँकि, यदि मुख्य खाते अंग्रेजी में नहीं हैं तो इनका अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा। इसके अलावा विदेशी सहायक कंपनियों के खातों का प्रारूप जहाँ तक संभव हो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। और यदि यह संभव नहीं है तो कारणों को इंगित करने वाला एक हिसाब किताब का विवरण इसके साथ रखा/फाइल किया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

12. वित्तीय विवरण की प्रति जो रजिस्टार के पास दाखिल की जाएगी [धारा 137]

इस खंड के अनुसार यदि कोई समेकित वित्तीय विवरण हो तो उसके सहित वित्तीय विवरण की प्रतियां वित्तीय विवरण से संलग्न और एजीएम में अपनाए गए सभी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाएंगी।

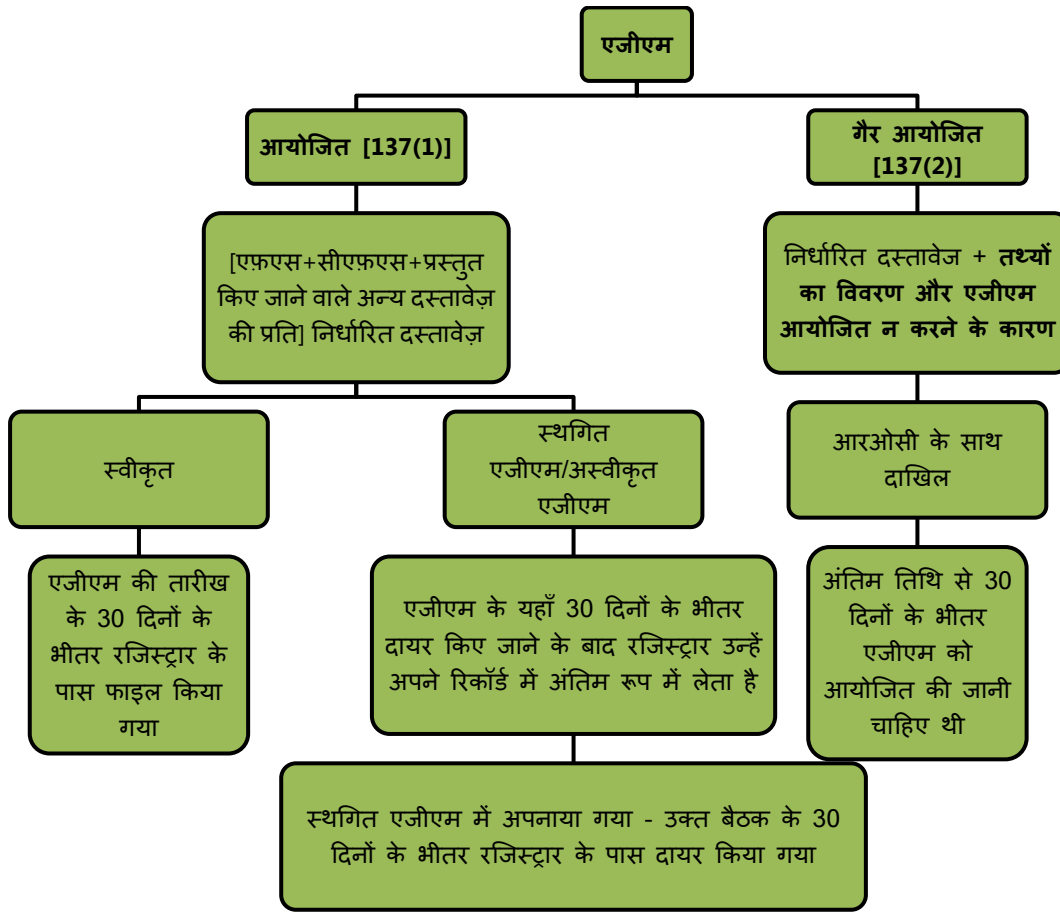

(i) वित्तीय विवरण दाखिल करना [धारा 137(1)]:

(1) कंपनी (खाता नियम), 2014 के नियम 12 के साथ पठित धारा 137 में कहा गया है कि - फॉर्म एओसी-4 के साथ वित्तीय विवरणों की एक प्रति जिसमें फॉर्म एओसी-4 सीएफएस के साथ समेकित वित्तीय विवरण शामिल है सभी दस्तावेजों के साथ जो कंपनी के एजीएम में विधिवत अपनाए गए इस अधिनियम के तहत इस तरह के वित्तीय विवरणों को संलग्न करना

© The Institute of Chartered Accountants of India

आवश्यक है एजीएम की तारीख के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास इस तरह से निर्धारित शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के साथ दायर किया जाएगा।

(1A) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) जिसे भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करने की आवश्यकता है रजिस्ट्रार के साथ फॉर्म एओसी-4 एनबीएफसी (इंड एएस) और समेकित वित्तीय विवरण के साथ फॉर्म एओसी-4 सीएफएस एनबीएफसी (इंड एएस) के साथ कोई भी वित्तीय विवरण दाखिल करेगी।

कंपनी के नियम 1 के अनुसार (*एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में दस्तावेज और फॉर्म दाखिल करना*) नियम, 2015-

निम्नलिखित वर्ग की कंपनियाँ अनुबंध-I के अनुसार ई-फॉर्म एओसी-4 एक्सबीआरएल में रजिस्ट्रार के साथ अधिनियम की धारा 137 के तहत अपने वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज दाखिल करेंगी:

(i) भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियाँ और उनकी भारतीय सहायक कंपनियाँ

(ii) पाँच करोड़ रुपये या उससे अधिक की चुकता पूंजी वाली कंपनियाँ

(iii) सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियाँ

(iv) सभी कंपनियाँ जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता है।

हालाँकि, कि कंपनियाँ (लेखा मानक) नियम, 2006 के तहत अपने वित्तीय विवरण तैयार करने वाली कंपनियाँ अनुबंध- II में प्रदान किए गए वर्गीकरण का उपयोग करके विवरण दर्ज करेंगी और कंपनियाँ (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अपने वित्तीय विवरण तैयार करने वाली कंपनियाँ फाइल करेंगी। अनुलग्नक-II A में प्रदान किए गए वर्गीकरण का उपयोग करते हुए वित्तीय विवरण।

हालाँकि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आवास वित्त कंपनियों और बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के कारोबार में लगी कंपनियों को इन नियमों के तहत वित्तीय विवरण दाखिल करने से छूट दी गई है।

(2) जिन कंपनियों ने उप-नियम (1) और पूर्ववर्ती नियमों के तहत अपने वित्तीय विवरण दाखिल किए हैं वे अपने वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज दाखिल करना जारी रखेंगे हालाँकि, वे बाद के वर्षों में उसमें निर्दिष्ट कंपनियों के वर्ग के अंतर्गत नहीं आते है।

जिन कंपनियों ने पूर्ववर्ती नियमों के तहत अपने वित्तीय विवरण दाखिल किए हैं अर्थात् कंपनी (दस्तावेजों की फाइलिंग और एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में फॉर्म) नियम, 2011

© The Institute of Chartered Accountants of India

उप-नियम (1 में निर्धारित अनुसार) अपने वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज दाखिल करना जारी रखेंगे) हालाँकि, वे उस निर्दिष्ट कंपनियों के वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं।

उदाहरण 8: अमेज़न कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित कंपनी का टर्नओवर गत वित्तीय वर्ष के दौरान क्रमशः रु.150 करोड़ रु.31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 को 90 करोड़ रुपये है। अब अमेज़ॅन कंपनी लिमिटेड 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ई-फॉर्म एओसी -4 एक्सबीआरएल में धारा 137 के तहत वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज दाखिल करना जारी रखेगी भले ही कंपनी नियम 3 के तहत प्रदान की गई कंपनियों की श्रेणी में न आती हो। कंपनी (एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में दस्तावेज और फॉर्म दाखिल करना) नियम, 2015।

(ii) यदि वित्तीय विवरणों को नहीं अपनाया जाता है [धारा 137(1)]:

(a) जब एजीएम या स्थगित एजीएम में वित्तीय विवरण नहीं अपनाया जाता है ऐसे गैर-वित्तीय विवरण आवश्यक दस्तावेजों के साथ एजीएम की तारीख के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास दायर किए जाएंगे।

(b) रजिस्ट्रार उन्हें उस उद्देश्य के लिए स्थगित एजीएम में उनके शामिल करने के बाद उनके साथ वित्तीय विवरण दाखिल किए जाने के बाद अंतिम रूप से अपने रिकॉर्ड में ले शामिल करेगा।

(c) यदि स्थगित एजीएम में वित्तीय विवरण अपनाए जाते हैं तो उन्हें ऐसी स्थगित एजीएम की तारीख से 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास ऐसी फीस या ऐसी अतिरिक्त निर्धारित फीस के साथ दाखिल किया जाएगा।

(iii) वन पर्सन कंपनी द्वारा फाइलिंग [धारा 137(1)]:

एक व्यक्ति कंपनी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 180 दिनों के भीतर अपने सदस्य द्वारा विधिवत अपनाए गए वित्तीय विवरणों की एक प्रति सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न करके फाइल करेगी।

(iv) सहायक कंपनियों वाली कंपनी [धारा 137(1)]:

भारत के बाहर निगमित की गयी कंपनी जिन्होंने भारत में अपना व्यवसाय स्थान स्थापित नहीं किया है ऐसे मे वह रजिस्ट्रार के पास दायर किए जाने वाले अपने वित्तीय विवरणों के साथ अपनी सहायक कंपनियों के खातों को संलग्न करेगी। (धारा 137(1) का चौथा परंतुक))

हालाँकि, सहायक कंपनी के मामले में जो भारत के बाहर निगमित है (यहाँ "विदेशी सहायक" के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसे अपने निगमन के देश के किसी भी कानून के तहत अपने वित्तीय विवरण का लेखा-परीक्षा कराने की आवश्यकता नहीं है और जो इस तरह के

© The Institute of Chartered Accountants of India

वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा के लिए चौथे प्रावधान के नियमो को पूरा करेगी यदि होल्डिंग भारतीय कंपनी इस आशय की घोषणा के साथ इस तरह के लेखा-परीक्षा वित्तीय विवरण को फाइल करती है यदि ऐसी वित्तीय विवरण अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है तो साथ में अङ्ग्रेज़ी अनुवादित प्रति के साथ वित्तीय विवरण को फाइल करेगी।

इसे *जनरल सर्कुलर नं. द्वारा 11/2015 दिनांक 21 जुलाई 2015* को विदेशी कंपनी के मामले में भी स्पष्ट किया गया है कि होल्डिंग या मूल भारतीय कंपनी को अपने निगमन के लिए देश में प्रचलित कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने खातों का लेखा-परीक्षा कराने की आवश्यकता नहीं है और वह ऐसे खातों का लेखा-परीक्षा नहीं करवाती है धारा 136(1) और 137(1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए ऐसे अलेखापरीक्षित खातों को रखें या फाइल करें। इसके अलावा विदेशी सहायक कंपनियों के खातों का प्रारूप जहाँ तक संभव हो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो विचलन के कारणों को इंगित करने वाले एक विवरण के साथ रखा/फाइल किया जा सकता है।

उदाहरण 9: भारत से बाहर स्थित वंदना लिमिटेड की भारत और भारत के बाहर कई सहायक कंपनियाँ हैं। इसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम भी थे। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से कंपनी के प्रबंधन ने इटली से बाहर स्थित अपनी विदेशी सहायक कंपनी से अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया। इटैलियन सहायक कंपनी देश की स्थानीय भाषा में अपने वित्तीय विवरण तैयार करती है और इसे भारतीय मूल कंपनी को प्रदान नहीं किया जाता है क्योंकि, इटैलियन सहायक कंपनी द्वारा लेखा-परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। कृपया सलाह दें कि भारतीय मूल कंपनी को इस वित्तीय विवरण से कैसे निपटना चाहिए।

उत्तर: वंदना लिमिटेड को इटैलियन सहायक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाना होगा और समेकन के उद्देश्य से अपनी लेखा नीतियों के अनुसार उन्हें संरेखित भी करना होगा।

इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 137 (1) की आवश्यकताओं के अनुसार, वंदना लिमिटेड को इटैलियन सहायक कंपनी के लेखा-परीक्षा वित्तीय विवरण के खुलासे के साथ-साथ वित्तीय विवरण की अंग्रेजी में अनुवादित प्रति के साथ दाखिल करने की आवश्यकता होगी।

इसके अलावा इटैलियन सहायक कंपनी के खातों का प्रारूप जहाँ तक संभव हो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत नियमो के अनुसार होना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो

© The Institute of Chartered Accountants of India

विचलन के कारणों को इंगित करने वाला एक विवरण इस तरह के साथ रखा/दायर किया जा सकता है।

(v) वार्षिक आम बैठक का न होना [धारा 137(2)]:

जहाँ किसी कंपनी की एजीएम किसी भी वर्ष के लिए आयोजित नहीं की गई है संलग्न किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ वित्तीय विवरण विधिवत हस्ताक्षरित तथ्यों के विवरण और एजीएम आयोजित नहीं करने के कारणों के साथ तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास दायर किया जाएगा। अंतिम तिथि से पहले एजीएम आयोजित की जानी चाहिए थी और इस तरह से ऐसी फीस या अतिरिक्त शुल्क के साथ जो निर्धारित किया जा सकता है।

(vi) दंड [धारा 137(3)]: यदि इस धारा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है-

(a) कंपनी अक्सर हजार रुपये के जुर्माने के लिए **उत्तरदायी होगी और लगातार विफलता के मामले में प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये के अतिरिक्त दंड के साथ जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है अधिकतम दो लाख रुपये के अधीन है** तथा

(b) कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी यदि कोई हो और प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी की अनुपस्थिति में, कोई अन्य निदेशक जो बोर्ड द्वारा प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी के साथ आरोपित किया जाता है इस धारा का, और, ऐसे किसी निदेशक की अनुपस्थिति में, कंपनी के सभी निदेशक, एक दंड के पात्र होंगे जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, और लगातार विफलता के मामले में, एक **सौ रुपये** के और दंड के साथ पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, अधिकतम **पचास हजार** रुपये के अधीन।

उत्तरदायी व्यक्ति	धारा 137 के उल्लंघन के लिए सजा
कंपनी	दस हजार रुपये का जुर्माना और लगातार विफलता के मामले में प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये का जुर्माना, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, अधिकतम दो लाख रुपये के अधीन है।
अधिकारी "कंपनी के एमडी और सीएफओ, यदि कोई हो; उनकी अनुपस्थिति में, कोई अन्य निदेशक जिस पर बोर्ड द्वारा जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसकी अनुपस्थिति में, कंपनी के सभी निदेशक।	जुर्माना जोकि इससे कम नहीं होगा- दस हजार रुपये और लगातार विफलता के मामले में, पहले के बाद प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये का और जुर्माना जिसके दौरान ऐसी

© The Institute of Chartered Accountants of India

	विफलता जारी रहती है, अधिकतम पचास हजार रुपये के अधीन है।

उदाहरण 10: 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा रखने के लिए आर लिमिटेड की एजीएम आयोजित नहीं की गई थी। कंपनी रजिस्ट्रार के पास वित्तीय विवरणों आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए पात्र कंपनियां की प्रतियां दाखिल करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में कंपनी के पास क्या उपाय उपलब्ध है?

उत्तर: वर्तमान मामले में, हालाँकि, एजीएम आयोजित नहीं की गई थी, इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के तहत 30 सितंबर 2018 तक आयोजित किया जाना चाहिए था।

इसलिए, धारा 137(2) के प्रावधानों के तहत, इस अधिनियम के तहत संलग्न किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ वित्तीय विवरण, विधिवत हस्ताक्षरित तथ्यों के विवरण और एजीएम आयोजित नहीं करने के कारणों के साथ रजिस्ट्रार के पास तीस के भीतर दायर किया जाएगा। अंतिम तिथि के दिन जिसके पहले एजीएम सूचीबद्ध कंपनी आयोजित की जानी चाहिए थी यानी 30 अक्टूबर 2018 तक ऐसी फीस या अतिरिक्त शुल्क के साथ जो निर्धारित किया जा सकता है।

उदाहरण 11: 27 सितंबर 2018 को आयोजित एजीएम से पहले वार्षिक खातों को विधिवत रूप से रखे जाने पर क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन शेयरधारकों द्वारा इसे नहीं अपनाया गया?

उत्तर: चूँकि, एजीएम 27 सितंबर 2018 को समय पर आयोजित किया गया है, इसलिए गैर-दत्त वित्तीय विवरण धारा 137 की उप-धारा (1) के तहत आवश्यक दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार के पास एजीएम की तारीख के तीस दिनों के भीतर दायर किया जाएगा और रजिस्ट्रार उन्हें अपने रिकॉर्ड में तब तक के लिए अनंतिम रूप में लेगा जब तक कि उस उद्देश्य के लिए स्थगित एजीएम में इसे अपनाने के बाद उसके पास वित्तीय विवरण दर्ज नहीं किया जाता है।

13. आंतरिक लेखापरीक्षा [धारा 138]

कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 13 के साथ पठित धारा 138, कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षा का प्रावधान करती है।

धारा 138 में कहा गया है कि:

"(1) कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्ग, जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है, के लिए एक आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की आवश्यकता होगी, जो या तो एक चार्टर्ड एकाउंटेंट या एक लागत लेखाकार, या ऐसा अन्य पेशेवर होगा जो कंपनी के कार्यों और गतिविधियों के बारे में आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(2) केंद्र सरकार, नियमों द्वारा, वह तरीका और अंतराल निर्धारित कर सकती है जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाएगी और बोर्ड को रिपोर्ट की जाएगी।"

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 में कहा गया है कि:

(i) कंपनियों को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता है:

(a) कंपनियों के निम्नलिखित वर्ग को एक आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता होगी जो या तो एक व्यक्ति या एक साझेदारी फर्म या एक निगमित निकायहो सकता है, अर्थात्:

(1) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी;

(2) प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसमें-

(A) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक की चुकता शेयर पूंजी; या

(B) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 200 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार; या

(C) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के बकाया ऋण या उधार; या

(D) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक की बकाया जमा राशि; तथा

(3) प्रत्येक निजी कंपनी जिसमें-

(A) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 200 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार; या

(B) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के बकाया ऋण या उधार।

(b) कंपनी या बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति, आंतरिक लेखा परीक्षक के परामर्श से, आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली, आवधिकता और कार्यप्रणाली तैयार करेगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

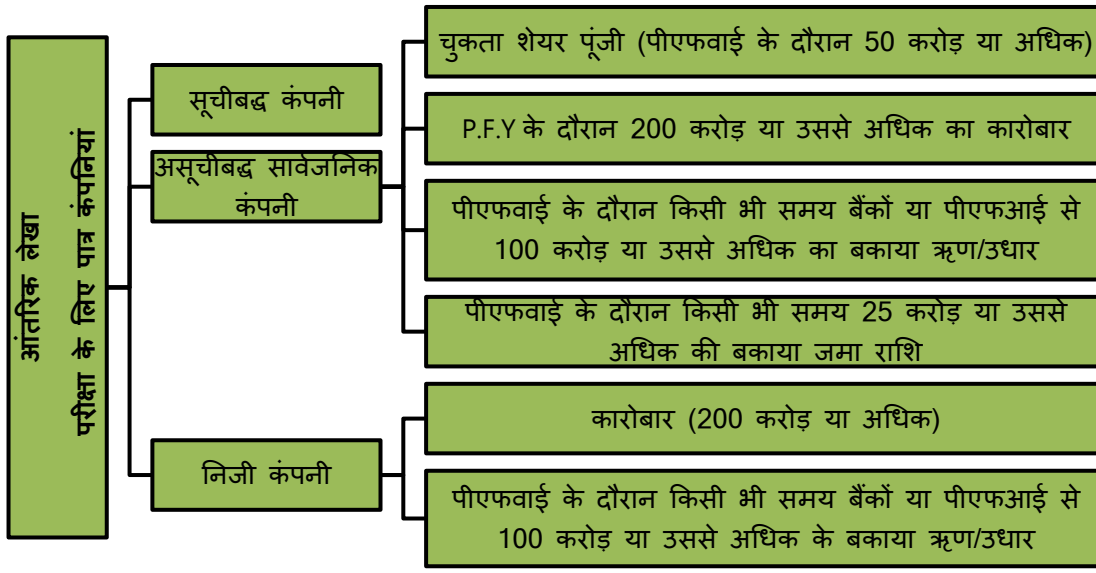

(ii) संक्रमणकालीन अवधि:

उपरोक्त किसी भी मानदंड के तहत आने वाली मौजूदा कंपनी धारा 138 और इस नियम की आवश्यकताओं का पालन इस तरह के खंड के शुरू होने के 6 महीने के भीतर करेगी।

(iii) आंतरिक लेखा परीक्षक कौन है

(a) आंतरिक लेखा परीक्षक या तो एक चार्टर्ड एकाउंटेंट या एक लागत लेखाकार, या ऐसा अन्य पेशेवर होगा जो कंपनी के कार्यों और गतिविधियों की आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है।

शब्द "चार्टर्ड एकाउंटेंट" या "लागत लेखाकार" का अर्थ "चार्टर्ड एकाउंटेंट" या "लागत लेखाकार", जैसा भी मामला हो, चाहे वह अभ्यास में लगे हों या नहीं '।

(b) आंतरिक लेखा परीक्षक कंपनी का कर्मचारी हो भी सकता है और नहीं भी।

उदाहरण 12: परफेक्ट लिमिटेड एक सूचीबद्ध कंपनी है। कंपनी स्टील के निर्माण के व्यवसाय में है और इसका प्रधान कार्यालय कर्नाटक में है। कंपनी के संचालन पूरे भारत में फैले हुए हैं। कंपनी ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, एन एंड कंपनी एलएलपी की एक फर्म को 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अपने आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, कंपनी के इसके आकार और संचालन के अनुरूप एक आंतरिक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली रखने की योजना है। अगर कंपनी ऐसा करती है तो वह एन एंड कंपनी एलएलपी को अपने आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में जारी नहीं रखने की योजना बना रही है। कृपया सलाह दें।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उत्तर

दी गई स्थिति में, यदि कंपनी का आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य उसके आकार और संचालन के अनुसार ठीक है तो वह एन एंड कंपनी एलएलपी के साथ जारी नहीं रखने का निर्णय ले सकता है।

सारांश

- **वित्तीय विवरण-धारा 2(40)**

  एक कंपनी के संबंध में वित्तीय विवरण में शामिल हैं:

  - वित्तीय वर्ष के अंत में एक तुलन पत्र;
  - एक वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और एक आय और व्यय हानि खाता, या एक कंपनी के मामले में कोई भी गतिविधि जो लाभ के लिए नहीं है।;
  - वित्तीय वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण;
  - इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, यदि लागू हो; तथा
  - ऊपर उल्लिखित किसी दस्तावेज़ से संलग्न या उसका हिस्सा बनने वाला कोई भी व्याख्यात्मक नोट। एक व्यक्ति कंपनी, छोटी कंपनी और निष्क्रिय कंपनी के संबंध में वित्तीय विवरण में नकदी प्रवाह विवरण शामिल नहीं हो सकता है।

- **वित्तीय वर्ष-धारा 2(41)**
  - कंपनी अधिनियम, 2013 में एक समान वित्तीय वर्ष।
  - एक कंपनी के संबंध में वित्तीय वर्ष का अर्थ है हर साल मार्च के 31 वें दिन समाप्त होने वाली अवधि।

- **धारा 128- कंपनी द्वारा रखी जाने वाली लेखा पुस्तकें**
  - लेखा बहियां कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखी जाएंगी;
  - बहीखाते और प्रासंगिक कागजात, बही और वित्तीय विवरण कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में सही-सही जानकारी देंगे, जिसमें इसके शाखा कार्यालयों या अन्य कार्यालयों, यदि कोई हो;
  - खातों की बहियां कंपनी के निदेशकों द्वारा या ऐसे अन्य स्थान पर, व्यावसायिक घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी;
  - कम से कम आठ वित्तीय वर्षों की अवधि से संबंधित खातों की पुस्तकों को अच्छी स्थिति में रखा जाएगा;
  - उल्लंघन के लिए जुर्माना: इस धारा के तहत चूक करने वाले अधिकारी को न्यूनतम 50,000 रुपये और अधिकतम 5 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- **धारा 128(1) का प्रावधान**
  - बहीखाते और अन्य प्रासंगिक कागजात, भारत में ऐसे अन्य स्थान पर रखे जा सकते हैं जैसा कि निदेशक मंडल तय कर सकता है;
  - कंपनी सात दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास उस अन्य स्थान का पूरा पता देते हुए लिखित में एक नोटिस फाइल करेगी।
- **धारा 129-वित्तीय विवरण**
  - वित्तीय विवरण कंपनी या कंपनियों के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी देंगे।
  - यह धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों का पालन करेगा और अनुसूची III में कंपनियों के विभिन्न वर्ग या वर्गों के लिए प्रदान किए गए रूप या रूपों में होगा।
- **खातों को फिर से खोलना- धारा-130**

  यदि कंपनी के निदेशकों को यह प्रतीत होता है कि वित्तीय विवरण या बोर्ड की रिपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हैं, तो संशोधित वित्तीय विवरण या प्राधिकरण के अनुमोदन से संशोधित बोर्ड की रिपोर्ट तैयार कर सकती है।

- **आंतरिक लेखा परीक्षा-धारा 138**
  - प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी
  - प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के पास - 50 करोड़ या उससे अधिक की चुकता शेयर पूंजी / 200 करोड़ या अधिक का टर्नओवर / बकाया ऋण और बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से ₹100 करोड़ से अधिक का उधार।
  - प्रत्येक प्राइवेट कंपनी के पास - 200 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर / बकाया ऋण और बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से ₹100 करोड़ से अधिक का उधार
  - उपरोक्त कंपनियों को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता है
  - आंतरिक लेखा परीक्षक के परामर्श से लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली और कार्यप्रणाली तैयार करती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

प्रश्न 1

भारत लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र के एक वर्गीकृत पिछड़े क्षेत्र में स्थित है। बोर्ड अपने खातों की पुस्तकों को मुंबई में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में रखना चाहता है जो कि सुविधाजनक रूप से स्थित है। बोर्ड कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने की व्यवहार्यता के बारे में आपकी सलाह चाहता है। कृपया सलाह दें।

उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128(1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए खातों की किताबें और अन्य प्रासंगिक किताबें और कागजात और वित्तीय विवरण तैयार करने और रखने की आवश्यकता होती है जो राज्य की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। कंपनी के मामलों, उसके शाखा कार्यालय या कार्यालयों सहित, यदि कोई हो, और पंजीकृत कार्यालय और उसकी शाखाओं दोनों में किए गए लेनदेन की व्याख्या करें और ऐसी पुस्तकों को प्रोद्भवन आधार पर और लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार रखा जाएगा।

धारा 128(1) के प्रावधान में आगे प्रावधान है कि सभी या कोई भी पूर्वोक्त बहीखाता और अन्य प्रासंगिक कागजात भारत में ऐसे अन्य स्थान पर रखे जा सकते हैं जैसा कि निदेशक मंडल निर्णय ले सकता है और जहाँ ऐसा निर्णय लिया जाता है, कंपनी उसके सात दिनों के भीतर, रजिस्ट्रार के पास उस अन्य स्थान का पूरा पता देते हुए लिखित में एक नोटिस फाइल करेगा। इसके अलावा कंपनी कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार खातों की ऐसी पुस्तकों या अन्य प्रासंगिक कागजात को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकती है।

इसलिए, भारत लिमिटेड का बोर्ड उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करके अपनी लेखा पुस्तकों को मुंबई में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में रख सकता है।

प्रश्न 2

विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में श्री घनश्याम (निदेशक), श्री हैदर (निदेशक) और श्री इंदरसन (प्रबंध निदेशक) शामिल हैं। कंपनी ने एक पूर्णकालिक सचिव भी नियुक्त किया है।

कंपनी के लाभ और हानि खाते और तुलन पत्र पर श्री घनश्याम और श्री हैदर द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। जाँच करें कि क्या कंपनी के वित्तीय विवरणों का प्रमाणीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार था?

© The Institute of Chartered Accountants of India

उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(1) के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरण सहित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, कंपनी के अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की ओर से हस्ताक्षर किए जाने से पहले निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जहाँ वह बोर्ड द्वारा या दो निदेशकों द्वारा अधिकृत है, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक, यदि कोई हो, और कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव, जहाँ भी वे नियुक्त किए जाते हैं, या के मामले में एक व्यक्ति कंपनी, केवल एक निदेशक द्वारा, उस पर अपनी रिपोर्ट के लिए लेखापरीक्षक को प्रस्तुत करने के लिए।

वर्तमान मामले में, तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते पर केवल श्री घनश्याम और श्री हैदर, निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(1) के मद्देनज़र, श्री इंदरसन, प्रबंध निदेशक को हस्ताक्षर करने वाले दो निदेशकों में से एक होना चाहिए। चूँकि, कंपनी ने एक पूर्णकालिक सचिव भी नियुक्त किया है, उसे तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते पर भी हस्ताक्षर करना चाहिए।

प्रश्न 3

हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसकी वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पेड अपशेयर पूंजी `11 करोड़ और टर्नओवर `145 करोड़ है। प्रासंगिक प्रावधानों और नियमों के संदर्भ में स्पष्ट करें कि क्या हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए एक्सबीआरएल मोड में अपने वित्तीय विवरण दाखिल करना आवश्यक है।

उत्तर

एक्सबीआरएल मोड में वित्तीय विवरण दाखिल करना

कंपनी के नियम 1 के अनुसार (एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में दस्तावेज और फॉर्म दाखिल करना) नियम, 2015, निम्नलिखित वर्ग की कंपनियाँ ई-फॉर्म एओसी -4 में रजिस्ट्रार के साथ अधिनियम की धारा 137 के तहत अपने वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज दाखिल करेंगी। अनुलग्नक-I के अनुसार एक्सबीआरएल:

(i) भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियाँ और उनकी भारतीय सहायक कंपनियाँ;

(ii) पाँच करोड़ रुपये या उससे अधिक की चुकता पूंजी वाली कंपनियाँ;

(iii) एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियाँ;

(iv) सभी कंपनियाँ जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

हालाँकि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों और बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के कारोबार में लगी कंपनियों को इन नियमों के तहत वित्तीय विवरण दाखिल करने से छूट दी गई है।

इसलिए एक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होने के नाते, एक्सबीआरएल मोड में अपना वित्तीय विवरण दाखिल करने से छूट प्राप्त है।

प्रश्न 4

हेरी लिमिटेड थाईलैंड में पंजीकृत एक कंपनी है। एसकेपी लिमिटेड (भारत में पंजीकृत), हेरी लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने भारत के बाहर अपने खातों के समेकन के लिए विभिन्न वित्तीय वर्ष का पालन करने का निर्णय लिया। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताएं।

उत्तर

जहाँ एक कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट, जो एक होल्डिंग कंपनी है या भारत के बाहर निगमित कंपनी की सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी है और भारत के बाहर अपने खातों के समेकन के लिए एक अलग वित्तीय वर्ष का पालन करना आवश्यक है, केंद्र सरकार एक आवेदन पर कर सकती है उस कंपनी या निगमित निकाय द्वारा इस तरह के रूप और तरीके से निर्धारित किया जा सकता है, किसी भी अवधि को अपने वित्तीय वर्ष के रूप में अनुमति दें, चाहे वह अवधि एक वर्ष हो या नहीं। कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रारंभ होने की तिथि को प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी आवेदन का निपटारा प्राधिकरण द्वारा इस तरह के प्रारंभ से पहले लागू प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। साथ ही, इस अधिनियम के प्रारंभ पर मौजूद कोई कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट, इस तरह के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के भीतर, इस खंड के प्रावधानों के अनुसार अपने वित्तीय वर्ष को संरेखित करेगा। एसकेपी लिमिटेड को सलाह दी जाती है कि वह तदनुसार उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करें।

प्रश्न 5

(i) रवि लिमिटेड ने सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के तहत अपने खातों की किताबें बनाए रखीं। क्या कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत इसकी अनुमति है?

(ii) कंपनी के खातों की पुस्तकों के रखरखाव के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को बताएं।

(iii) क्या कोई कंपनी केवल भारत के बाहर खातों की पुस्तकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुलभ रख सकती है?

© The Institute of Chartered Accountants of India

उत्तर

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128(1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए "खाते की किताबें" और अन्य प्रासंगिक किताबें और कागजात और वित्तीय विवरण तैयार करेगी। इन खातों की पुस्तकों को कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य देना चाहिए, जिसमें इसके शाखा कार्यालय भी शामिल हैं। खाते की इन पुस्तकों को प्रोद्भवन के आधार पर और लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार रखा जाना चाहिए। इसलिए, रवि लिमिटेड द्वारा सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के तहत खाते की पुस्तकों के रखरखाव की अनुमति नहीं है।

(ii) पुस्तकों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार व्यक्ति: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 (6) के अनुसार, कंपनी द्वारा खाते की पुस्तकों आदि के रखरखाव की आवश्यकता के अनुपालन को सुरक्षित करने के लिए सभी उचित कदम उठाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होगा :

(a) प्रबंध निदेशक,

(b) वित्त के प्रभारी पूर्णकालिक निदेशक

(c) मुख्य वित्तीय अधिकारी

(d) बोर्ड द्वारा धारा 128 के प्रावधानों का पालन करने के कर्तव्य के साथ कंपनी का कोई अन्य व्यक्ति।

(iii) कंपनी के पास कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार ऐसी खातों की पुस्तकों या अन्य प्रासंगिक कागजात को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखने का विकल्प होता है। ऐसे नियम के अनुसार,

(a) इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे गए खाते की किताबें और अन्य प्रासंगिक किताबें और कागजात भारत में सुलभ रहेंगे ताकि बाद के संदर्भ के लिए उपयोग किया जा सके।

हालाँकि, कि 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक कंपनी जो अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, केवल ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी जिसमें प्रत्येक लेनदेन के लेखा-परीक्षा ट्रेल को रिकॉर्ड करने की सुविधा हो। , इस तरह के परिवर्तन किए जाने की तारीख के साथ खाते की पुस्तकों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन का एक संपादन लॉग बनाना और यह सुनिश्चित करना कि लेखा-परीक्षा ट्रेल को अक्षम नहीं किया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति, प्रदर्शन या प्रिंटआउट के लिए एक उचित प्रणाली होगी, जैसा कि लेखा परीक्षा समिति, यदि कोई हो, या बोर्ड उचित समझे और ऐसे अभिलेखों का निपटान या अनुपयोगी नहीं किया जाएगा, जब तक कि अनुमति न दी जाए कानून।

(c) इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखी गई कंपनी की खातों और अन्य पुस्तकों और कागजात का बैकअप, भारत के बाहर किसी स्थान पर, यदि कोई हो, आवधिक आधार पर भारत में भौतिक रूप से स्थित सर्वरों में रखा जाएगा।

इसलिए, एक कंपनी केवल भारत के बाहर खातों की पुस्तकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुलभ नहीं रख सकती है।

प्रश्न 6

सन लिमिटेड की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 51% भारत सरकार के पास है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सन लिमिटेड के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 31 अगस्त, 2018 को आयोजित इसकी वार्षिक आम बैठक में रखे गए थे। हालाँकि, उक्त खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की टिप्पणियों को लंबित रखते हुए बैठक को खातों को स्वीकार किए बिना स्थगित कर दिया गया था। खातों पर सीएजी की टिप्पणियां प्राप्त होने पर, स्थगित वार्षिक आम बैठक 15 अक्टूबर, 2018 को आयोजित की गई थी, जिसमें खातों को अपनाया गया था। इसके बाद, सन लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित अपने वित्तीय विवरण 12 नवंबर, 2018 को कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के संदर्भ में जाँच करें कि क्या सन लिमिटेड ने रजिस्ट्रार के साथ खाते दाखिल करने के संबंध में वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन किया है?

उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137(1) के पहले प्रावधान के अनुसार, जहाँ वार्षिक आम बैठक या स्थगित वार्षिक आम बैठक में वित्तीय विवरणों को स्वीकार नहीं किया जाता है, ऐसे अडॉप्टेड वित्तीय विवरण आवश्यक दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार के पास दायर किए जाएंगे वार्षिक आम बैठक की तारीख के तीस दिन और रजिस्ट्रार उन्हें अपने रिकॉर्ड में तब तक अनंतिम रूप में लेंगे जब तक कि उस उद्देश्य के लिए स्थगित वार्षिक आम बैठक में उनके गोद लेने के बाद उनके पास वित्तीय विवरण दर्ज नहीं किए जाते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137(1) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, स्थगित एजीएम में अपनाए गए वित्तीय विवरण ऐसी स्थगित एजीएम की तारीख से तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास ऐसी फीस या इस तरह के अतिरिक्त शुल्क के साथ दाखिल किए जाएंगे। निर्धारित। वर्तमान मामले में, सन लिमिटेड के खातों को 15 अक्टूबर, 2018 को आयोजित स्थगित एजीएम में अपनाया गया था

© The Institute of Chartered Accountants of India

और रजिस्ट्रार के साथ वित्तीय विवरण दाखिल 12 नवंबर, 2018 को किया गया था, यानी स्थगित एजीएम की तारीख के 30 दिनों के भीतर लेकिन सन लिमिटेड ने 31 अगस्त 2018 को आयोजित वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना अडॉप्टेड वित्तीय विवरण दाखिल नहीं किया है।

इसलिए, सन लिमिटेड ने वित्तीय विवरण दाखिल करने के संबंध में वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है पंजीयक के पास खाता दर्ज किया है, लेकिन निश्चित रूप से पंजीयक के पास नियत तारीख के भीतर अपनाए गए खातों को दाखिल करके प्रावधानों का अनुपालन किया है।

प्रश्न 7

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आयकर अधिकारियों ने मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए चेतन लिमिटेड के खातों को फिर से खोलने की आवश्यकता देखी और इसलिए, राष्ट्रीय कंपनी कानून के समक्ष एक आवेदन दायर किया। प्राधिकरण (एनसीएलटी) ने चेतन लिमिटेड को अपने खातों को फिर से खोलने और वित्तीय वर्ष 2008-09 के वित्तीय विवरणों को फिर से खोलने का आदेश जारी किया। आयकर अधिकारियों द्वारा एनसीएलटी को दायर किए गए आवेदन की वैधता की जाँच करें।

उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 130 के अनुसार, एक कंपनी अपने खाते की पुस्तकों को फिर से नहीं खोल सकती है और अपने वित्तीय विवरणों को फिर से नहीं खोल सकती है, जब तक कि इस संबंध में केंद्र सरकार, आयकर अधिकारियों, प्रतिभूतियों द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है। और एक्सचेंज बोर्ड, कोई अन्य सांविधिक निकाय या प्राधिकरण या संबंधित कोई व्यक्ति और सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा इस आशय का आदेश दिया जाता है कि-

(i) पहले के प्रासंगिक खाते कपटपूर्ण तरीके से तैयार किए गए थे; या

(ii) कंपनी के मामलों को प्रासंगिक अवधि के दौरान गलत तरीके से प्रबंधित किया गया था, जिससे वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हो गया था:

तथापि, चालू वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के आठ वित्तीय वर्षों से पहले की अवधि से संबंधित खाते की पुस्तकों को फिर से खोलने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

दिए गए उदाहरण में, वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए चेतन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को फिर से खोलने और पुन: कास्टिंग करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जो कि चालू वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के 8 वित्तीय वर्षों से अधिक है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

हालाँकि, आयकर अधिकारियों द्वारा एनसीएलटी को दायर किया गया आवेदन वैध है, चालू वित्तीय वर्ष यानी 2019-2020 से ठीक पहले के आठ वित्तीय वर्षों से पहले की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों को फिर से खोलने और पुन: प्रस्तुत करने की इसकी सिफारिश अमान्य है।-

© The Institute of Chartered Accountants of India